वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015-2016

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(for the State of Goa and Union Territories)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष 2015–16
के लिए

8वी वार्षिक रिर्पोट

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अंतर्गत)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
वाणिज्य निकुंज, द्वितीय तल, एचएसआईआईडीसी परिसर,
उद्योग विहार, फेज–V, गुरूग्राम–122016 (हरियाणा)
E-mail: secy-jerc@nic.in
Website: www.jercuts.gov.in

विषय–वस्तु

क्र.सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ सं.
	अध्यक्ष महोदय की डेस्क से	
1.	**आयोग का संगठनात्मक ढांचा**	3
	1.1 प्रस्तावना	
	1.2 आयोग के सदस्यों का प्रोफाइल	4–5
	1.3 आयोग का कार्यालय	6
	1.4 संगठनात्मक संरचना	7
2.	**विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन आयोग की भूमिका**	
	2.1 अधिनियम की प्रस्तावना	8
	2.2 आयोग को अधिदेशित कार्य	8–9
3.	**वित्तीय वर्ष 2015–16 की विशेषताएं**	
	3.1 नए विनियमों का गठन/संशोधन	10
	3.2 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कारोबार योजना और एआरआर तथा टैरिफ का निर्धारण	11–12
	3.3 जेईआरसी की अधिकारिता के अंतर्गत विद्युत कंपनियों के महत्वपूर्ण मानक	13
	3.4 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें	14
	3.5 याचिकाओं की स्थिति	15
	3.6 विवादों और अंतरों का अधिनिर्णय	16–18
4.	**वार्षिक लेखे**	
	4.1 आय एवं व्यय विवरण	19–20
	4.2 शुल्क एवं प्रभार	21
5.	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के विवरण**	21
6.	**आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना**	22
7	**अनुलग्नक**	23–30

अध्यक्ष महोदय की डेस्क से

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए) अगस्त, 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से ही विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत इसे सौंपे गए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है। 7 वर्षों से अधिक की अपनी यात्रा में, इसने सभी हितधारकों और उपभोक्ताओं, चाहे वे खुदरा हों या थोक, के हितों का ध्यान रखते हुए कंपनियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने की भूमिका को प्रभावी तरीके से पूरा किया है।

आयोग ने सक्रियता से अपनी यात्रा आरंभ की और गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत क्षेत्र के लिए विनियामक संरचना में अधिक सुधार करने के अपने प्रयासों में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान नई बुलंदियों को छुआ।

आयोग ने बहु–वर्ष वितरण विनियम, 2014 का गठन किया जिसके अनुसार पिछले वर्ष लाइसेंसधारकों को वित्त वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के लिए प्रशुल्क निर्धारण और कारोबार योजना के लिए अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करने का निर्देष दिया गया था। हालांकि, लाइसेंसधारकों द्वारा दायर याचिकाओं में पर्याप्त डाटा उपलब्ध न होने के कारण, आयोग ने एमवाईटी व्यवस्था के कार्यान्वयन को एक वर्ष तक स्थगित करने का निर्णय लिया। चालू वर्ष के दौरान, आयोग ने सभी लाइसेंसधारकों से कारोबार योजना और प्रशुल्क निर्धारण हेतु याचिकाएं प्राप्त की और लाइसेंसधारकों के संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई करने के बाद वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2018–19 की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कारोबार योजना आदेश और प्रशुल्क आदेश सफलतापूर्वक जारी किए।

आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास अधिक उत्साह से जारी रखे। आयोग ने 8 मई, 2015 को सौर विद्युत – ग्रिड संयोजित ग्राउंड माउंटेड और सौर रूफटॉप और मीटरिंग विनियमन, 2015 अधिसूचित किए। उत्पादकों, लाइसेंसधारकों, उपभोक्ताओं और हितधारकों के मध्य अधिक जागरूकता और समझ पैदा करने के लिए, आयोग ने केंद्रित रवैया अपनाया और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाइयों के दौरान सौर विनियमनों और उनके प्रभावों की विस्तृत प्रस्तुति का प्रबंध किया।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आयोग ने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों (सीजीआरएफ'स) और सीजीआरएफ के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

आयोग ने राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से उपभोक्ता संगठन, उद्योग संघों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। ये बैठकें नीति, लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित विषयों, लाइसेंसधारकों द्वारा लाइसेंस शर्तों के अनुपालन, उपभोक्ता हित और विद्युत आपूर्ति और कंपनियों के निष्पादन के समग्र मानकों के संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उपभोक्ताओं और हितधारकों के वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के विचारों को समझने के लिए नियमित तौर पर आयोजित की जाती हैं। आयोग ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संगठनों से भी नियमित तौर पर संवाद किया।

एस.के. चतुर्वेदी,
अध्यक्ष

आयोग का संगठनात्मक ढांचा

1.1 प्रस्तावना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 'संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के नाम से ज्ञात एक दो सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित था, का गठन किया, जैसा कि दिनांक 2 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 23/52/2003 – आरएंडआर द्वारा अधिसूचित किया गयाा। बाद में, गोवा राज्य के शामिल होने के बाद, आयोग को 'गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के नाम से जाना जाने लगा जो कि दिनांक 30 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 23/52/2003 – आरएंडआर (खंड–II) द्वारा अधिसूचित किया गया। गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने अगस्त 2008 से कार्य करना आरंभ किया। आयोग का कार्यालय वर्तमान में हरियाणा के गुड़गांव नगर में एक किराए के भवन में अवस्थित है।

वर्ष के दौरान आयोग ने गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष विनियामक प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास किया है। आयोग की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग की गतिविधियों को प्रस्तुत करती है।

आयोग के पास, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किसी जांच अथवा कार्यवाही के प्रयोजन से वही शक्तियां हैं जो अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

आयोग के समक्ष चलने वाली सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां माना जाता है और दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजन के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाता है। आयोग को विद्युत उत्पादन कंपनियों और लाइसेंस जारीकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय करने अथवा इनकी मध्यस्थता करने और इनका निपटान करने के लिए माध्यस्थ मनोनीत करने की संपूर्ण अधिकारिता है।

1.1 आयोग के सदस्यों का प्रोफाइल

श्री एस.के. चतुर्वेदी
अध्यक्ष

श्री एस.के. चतुर्वेदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एम.एससी. (विशेष) की उपाधि प्राप्त की और आंध्र प्रदेश उत्पादकता परिषद से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने एएससीआई, हैदराबाद से एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम में भी भाग लिया।

लगभग 35 वर्षों के कार्यकाल में, श्री एस.के. चतुर्वेदी ने प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन में कार्य किया है। उन्हें थर्मल और जल दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन और विद्युत पारेषण परियोजनाओं में अनुभव रखने का विशिष्ट श्रेय प्राप्त है।

अगस्त 2008 में, उन्हें एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पावरग्रिड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, और उन्होंने विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार की ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्यों के लिए पारेषण प्रणाली विकसित करने की चुनौती स्वीकार की। उनके नेतृत्व में, वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 व 2010–11 के दौरान पावरग्रिड ने, अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की जैसे बजट उपयोगिता लक्ष्य और समग्र समझौता ज्ञापन लक्ष्यों में वृद्धि करना, पावरग्रिड में शेयरों को सफलतापूर्वक पेश करना, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) परियोजना और अफगानिस्तान में प्रतिष्ठित परामर्शी एसाइनमेंट इत्यादि को समय पर प्रारंभ करना।

श्री चतुर्वेदी ने जेईआरसी में मई, 2012 में आरंभ में सदस्य तथा बाद में फरवरी, 2014 में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय हैं – विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा 'श्रेष्ठ सीईओ पुरस्कार 2009', श्रेष्ठ एचआर पद्धतियों के लिए ''नेशनल एचआरडी नेटवर्क पुरस्कार'', भारतीय जन संपर्क सोसाइटी द्वारा ''पीआर उत्कृष्टता पुरस्कार'' और प्रबंधन के क्षेत्र में वृत्तिक योगदान के लिए एआईएमए की फेलोशिप।

श्री चतुर्वेदी ने ''विश्व के अत्यंत वृहद ऊर्जा ग्रिड ऑपरेटर्स'' के अध्यक्ष तथा ''सीबीआईपी'' के उपाध्यक्ष के पदों पर भी कार्य किया। वर्तमान में वे ''आईआईपीई'' के अध्यक्ष पद पर हैं।

श्रीमती नीरजा माथुर
सदस्य

वर्ष के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर ने दिनांक 26.08.2015 से संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) के सदस्य का कार्यभार संभाला। पहले, श्रीमती नीरजा माथुर 01.11.2013 से 31.12.2014 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष पद पर रहीं। सीपीईएस कैडर की अधिकारी, श्रीमती नीरजा माथुर जुलाई 1979 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक निदेशक के रूप में सीईए में शामिल हुई थी और उनके पास सीईए में विभिन्न पदों पर अपने व्यापक और विविध कार्य अनुभव के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास में लगभग 34 वर्षों का बहुमुखी अनुभव है। श्रीमती नीरजा माथुर आईआईटी, रूड़की से स्नातक डिग्री तथा आईआईटी, दिल्ली से एम.टेक डिग्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की विधा में एक तकनीकी प्रोफेषनल हैं।

विद्युत प्रणाली संरक्षण और इंस्ट्रूमेंटेशन तथा पारेषण योजनाओं के क्षेत्र में आरंभिक प्रतिबंध के चलते, श्रीमती नीरजा माथुर ने विद्युत क्षेत्र में योजना, भार प्रेषण और दूरसंचार सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया। समेकित संसाधन योजना प्रभाग में निदेशक और मुख्य अभियंता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के उत्पादन योजना और भार पूर्वानुमान से संबंधित रही। देश में समेकित संसाधन नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना और कार्यकारी समूह रिपोर्टें तैयार करने में वे अतिसक्रिय तौर पर संलग्न रहीं। वे विस्तृत रूप से 11वीं योजना और 12वीं और 13वीं योजना के परिप्रेक्ष्य में अप्रैल 2007 में बनाई गई राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करने में सहायक रहीं। प्रचालन अनुवीक्षण प्रभाग के मुख्य अभियंता के रूप में, उन्हें देश में विद्युत स्टेशनों की ईंधन निगरानी और ईंधन की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों के समाधान का काम सौंपा गया।

श्रीमती नीरजा माथुर ने ग्रिड प्रबंधन, वितरण प्रणाली कार्यशीलता और उत्पादन इकाइयों के प्रचालन निष्पादन की जिम्मेदारी के साथ 1 मार्च, 2013 से सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण), सीईए और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1 नवम्बर 2013 से सीईए के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में, श्रीमती नीरजा माथुर पूर्णरूप से देष के विद्युत क्षेत्र के सभी पहलुओं के समग्र नियोजन और समन्वय में संलिप्त रहीं। उन्होंने उत्पादन क्षमता वर्धन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के साथ ही पारेषण प्रणाली के अनुरूप विकास को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया।

सीईए के अध्यक्ष के पद से संलग्न जिम्मेदारियों के भाग रूप में, श्रीमती नीरजा माथुर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के महत्वपूर्ण मामलों से, सीईआरसी की पदेन सदस्य के रूप में, संबद्ध हैं। अपनी व्यावसायिक निपुणता की वजह से, वह विद्युत क्षेत्र से संबद्ध महत्वपूर्ण समितियों/समूहों की अध्यक्ष/सदस्य रही हैं/हैं।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग गुड़गांव, हरियाणा में उद्योग विहार में एचएसआईआईडीसी भवन में स्थित किराए के परिसर के माध्यम से प्रचालन करता है। आयोग का कार्यालय लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से जुड़ा हुआ है, जो कोई उपयोगी संदर्भ जानकारी हासिल करने के लिए उपयोगी है। आयोग की अपनी वेबसाइट (www.jercuts.gov.in) है, जिसे इसके सचिवालय द्वारा पुनः डिजाइन किया गया है और नियमित रूप से इसका रखरखाव और अपडेट किया जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग सुनवाई कार्यक्रमों, समाचारों, अपडेट की जानकारी देने, संकल्पना पत्रों, विनियमों, याचिकाओं पर टिप्पणियां आमंत्रित करने और अधिसूचित विनियमों, आयोग के आदेशों, संबंधित विवरणों इत्यादि को अपलोड करने के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों और ओम्बड्समैन पर जानकारी और उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, श्रीमति रिंकू गौतम, एचपीईआरसी से निदेशक (टीई) 21.09.2015 से प्रतिनियुक्ति पर निदेशक (वित्त एवं विधि) के रूप में तथा श्रीमति कविता वर्मा 01.10.2015 से प्रतिनियुक्ति पर प्रधान निजी सचिव के रूप में आयोग में शामिल हुई।

जेईआरसी, गुड़गांव के कोर्ट रूम में सुनवाई

1.4 संगठनात्मक संरचना

स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारी संख्या के आधार पर संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार से है:

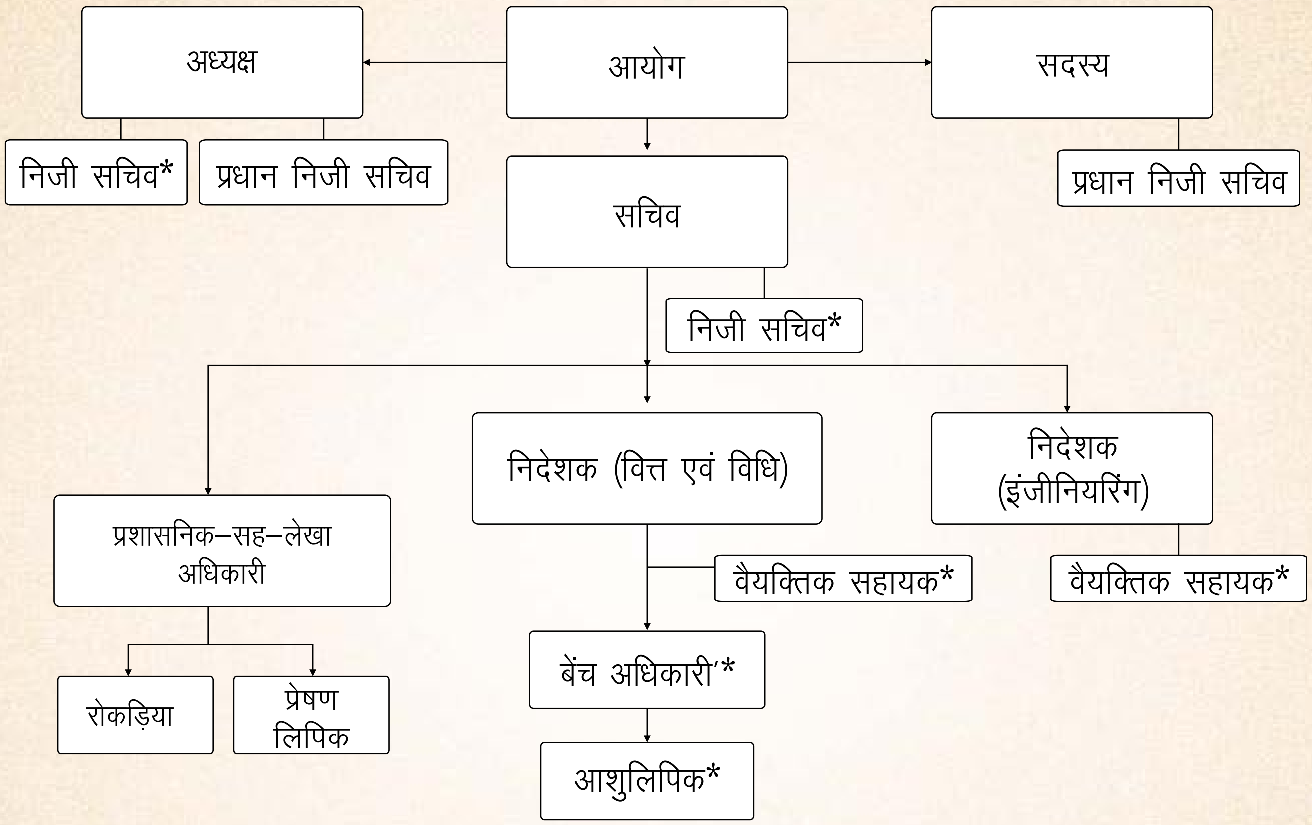

*रिक्त

2. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आयोग की भूमिका

2.1 अधिनियम की प्रस्तावना

विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और प्रयोग से संबंधित विधियों को सुदृढ़ बनाना तथा सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास, उसमें विद्यमान प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करते हुए विद्युत टैरिफों को युक्तिसंगत बनाकर सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुकूल प्रयास करना है।

2.2 आयोग को अधिदेशित कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत जेईआरसी गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में, वहनीय दरों पर विद्युत की विश्वस्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए एक सक्षम और आर्थिक रूप से जीवंत विद्युत प्रणाली निर्मित करने के प्रति प्रतिबद्ध है और गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में लाइसेंसधारकों और उत्पादन कंपनियों के हितों का रक्षण करने के साथ ही उपभोक्ताओं को एक उचित व्यवहार प्रदान करने के अपने दायित्वों के निर्वहन में पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता और भागीदारी के सिद्धांतों से प्रेरित है। उपरोक्त की प्राप्ति के लिए, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दिया गया है:

क) यथास्थिति, राज्य के अंदर थोक, बहुतायत या खुदरा में विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण, चक्रण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

बशर्ते कि जहां उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को धारा 42 के अंतर्गत ओपन एक्सेस प्रदान किया गया हो, तो राज्य आयोग उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल चक्रण प्रभार और उस पर अधिभार, यदि कोई हो का निर्धारण करेगा;

ख) वितरण लाइसेंसधारकों की विद्युत क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है, जिस पर राज्य के भीतर विद्युत के वितरण और आपूर्ति के लिए उत्पादक कंपनियों अथवा लाइसेंसधारकों अथवा विद्युत की खरीद के लिए करारों के माध्यम से अन्य स्रोतों से बिजली अधिप्राप्त की जाएगी;

ग) विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण और चक्रण को सहायता प्रदान करना;

घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर, उनके प्रचालनों के संबंध में पारेषण लाइसेंसधारकों, वितरण लाइसेंसधारकों और विद्युत व्यावसायियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना;

ङ) ग्रिड के साथ संयोजनता तथा किसी व्यक्ति को बिजली के विक्रय के लिए उपयुक्त उपायों का प्रावधान करके नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही, ऐसे स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए वितरण लाइसेंस के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत विहित करना;

च) लाइसेंसधारकों और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों का निर्णय करना तथा किसी अन्य विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करना;

छ) इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए शुल्क का उद्ग्रहण करना;

ज) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) से सुसंगत राज्य ग्रिड

संहिता विनिर्दिष्ट करना;

झ) लाइसेंसधारकों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, अनवरतता और विश्वसनीयता के संबंध में सन्नियमों को निर्दिष्ट अथवा प्रवर्तित करना;

ञ) यदि आवश्यक समझा जाए, तो विद्युत के अंतर्राज्यीय व्यवसाय में व्यवसाय संभावना को नियत करना;

ट) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन जो अधिनियम के अंतर्गत इसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अधिनियम की धारा 86 (2) के अनुसार, आयोग निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किसी एक मामले पर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार को परामर्श देगा:

i) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता को प्रोत्साहित करना;

ii) विद्युत उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना;

iii) राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्संरचना; और

iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यवसाय से संबंधित मामले तथा सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य मामला;

धारा 86(3) के संबंध में, आयोग अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा; और धारा 86(4) के अनुसार, अपने कार्यों के निर्वहन में विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति द्वारा आयोग का मार्गदर्शन किया जाएगा।

जेईआरसी की चुनौतियों के बारे में आयोग ने विद्युत मंत्रालय को अवगत कराया

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 की विशेषताएं

3.1 नए विनियमों का गठन

(i) आयोग ने अब तक 19 विनियम गठित और अधिसूचित किए हैं, जिनमें वर्ष के दौरान गठित नए विनियम शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप विनियम, 2015 राष्ट्रीय सौर मिशन के अनुरूप 15 मई, 2015 को आयोग द्वारा निर्मित और अधिसूचित महत्वपूर्ण विनियमों में से एक था, जो इसलिए अनूठे हैं कि वे सकल मीटरिंग के साथ ही निवल मीटरिंग जो भी माध्यम उत्पादक/उपभोक्ता को प्रेरित करता हो, की अनुमति प्रदान करते हैं। इनमें समूह निवल मीटरिंग, मुफ्त बैंकिंग और चक्रण सुविधा, आवासीय तथा वाणिज्यिक सहकारिताओं, इत्यादि हेतु प्रावधान भी हैं।

सौर विनियमों की अवधारणाओं और प्रावधानों को प्रोत्साहित करने और बेहतर समझ पैदा करने के लिए, आयोग ने अपनी अधिकारिता के अंतर्गत, एमवाईटी याचिकाओं के लिए आयोजित सार्वजनिक सुनवाइयों के साथ ही, सभी संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पादकों/हितधारकों/उपभोक्ताओं की एक विशेष सुनवाई आयोजित की।

इन उपभोक्ता हितैषी विनियमों ने चंडीगढ़ को सर्वाधिक रूफटॉप स्थापनों वाला संघ राज्य क्षेत्र बनने में सक्षम बनाया है। आयोग के अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में भी अनेक सौर स्थापन लग गए हैं।

अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आयोग सभी संघ राज्य क्षेत्रों से नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं (आरपीओ'ज) का अनुपालन कराने में सफल रहा है।

(ii) वर्ष के दौरान, आयोग ने समयावधि के दौरान प्राप्त अनुभवों और हितधारकों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आलोक में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों जैसे निगरानी प्रणाली, शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रारूपों, आवधिक रिपोर्टों इत्यादि की व्यवस्था के लिए विनियमों को अधिक व्यापक एवं परिपूर्ण बनाने के लिए जेईआरसी (निष्पादनों के मानक) को रद्द कर दिया।

तदनुसार, आयोग ने दिनांक 24.07.2015 को जेईआरसी (वितरण लाइसेंसधारकों के लिए निष्पादन के मानक) अधिसूचित किया।

3.1.1 विनियमों में संशोधन

जेईआरसी लगातार विद्युत क्षेत्र में नवीनतम विकास के चलते विनियमों की समीक्षा करता रहता है। संशोधित एवं वृथित विनियम इस प्रकार है।

(i) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास को अधिक वृहद स्तर पर प्रोत्साहित करने और बढ़ाने की केन्द्र सरकार की नई नीतिगत पहलों और इस पर विशेष जोर, कार्यान्वयन की प्रशासनिक और प्रचालन योग्यता पर विचार करते हुए तथा समयावधि के दौरान हासिल अनुभव के आधार पर, आयोग ने जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 2015 में संषोधन करते हुए दिनांक 22 दिसंबर, 2015 को विधिवत अधिसूचित किया।

आयोग द्वारा सौर विद्युत करार तथा सौर विद्युत उत्पादन का अवलोकन

3.2 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना तथा एआरआर और टैरिफ निर्धारण

इस वर्ष आयोग ने बहु–वर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) संरचना का कार्यान्वयन किया जिसके अंतर्गत इसे तीन वर्षों की प्रथम नियंत्रण अवधि अर्थात् इसके नियंत्रण के अधीन सभी कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए व्यवसाय योजना और कुल राजस्व अपेक्षाओं का अनुमोदन करना था। आयोग को अपनी अधिकारिता के अधीन बिजली विभागों के लिए पिछले वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और ट्रू–अप्स के परिणामी प्रभावों पर विधिवत विचार

करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बिजली के वितरण व्यवसाय के लिए टैरिफ का भी निर्धारण करना था।

वर्ष के दौरान, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 की नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना के अनुमोदन के लिए सभी सात कंपनियों से याचिकाएं प्राप्त की। व्यवसाय योजना का प्रमुख विषय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विद्युत जरूरतों को पूरा करने से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यों की पहचान, नुकसानों में कमी के माध्यम से निष्पादन दक्षता में सुधार और उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार है। याचिका के साथ प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की विस्तृत जांच और बाद में तकनीकी वैधीकरण सत्रों के दौरान, हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और सार्वजनिक सुनवाइयों के दौरान प्रदान की गई जानकारी के बाद, आयोग ने सभी सात कंपनियों के लिए व्यवसाय योजना आदेश पारित किए।

व्यवसाय योजना याचिकाओं के अनुमोदन के बाद, आयोग ने पहली नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षाओं (एआरआर) के निर्धारण के लिए सभी लाइसेंसधारकों से प्राप्त एमवाईटी याचिका(ओं) का निस्तारण कर दिया। आयोग ने लाइसेंसधारकों द्वारा एमवाईटी याचिकाओं के भाग रूप में, पिछले वर्षों के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (अनुमोदित एवं संषोधित/वास्तविक अंकेक्षित आंकड़ों के मध्य अंतर का विश्लेषण करने के लिए) और ट्रू–अप्स (अनुमोदित एवं लेखापरीक्षित आंकड़ों के मध्य अंतरों का विश्लेषण करने के लिए) से संबंधित प्रस्तुतियों पर भी विचार किया। याचिका में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर और बाद में तकनीकी वैधीकरण सत्रों के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक सुनवाइयों से पहले और उस समय प्राप्त हितधारकों/उपभोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों, और उचित परिश्रम, विवेकपूर्ण जांचों और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमवाईटी एआरआर आदेशों का अनुमोदन किया और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ निर्धारित किया।

कंपनियों के अधिकांश टैरिफ आदेश निर्धारित समय के अंदर जारी किए गए और वे सभी विभागों को भली–भांति प्राप्त हो गए हैं।

3.2 जेईआरसी की अधिकारिता के अधीन बिजली कंपनियों के महत्वपूर्ण पैरामीटर

वित्तीय वर्ष 2015–16 (*)

		कंपनियां						
क्र. सं.	विवरण	चंडीगढ़	गोवा	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पुदुच्चेरी	दादर एवं नागर हवेली	दमन एवं दीव	लक्षद्वीप
1	उपभोक्ताओं की संख्या	216184	620047	131230	441910	66083	58979	21695
2	संयोजन भार (kW/kVA में)	1454240	2757234	188381	N.A.	1416853.53	826123 kVA	8424 kVA
3	ऊर्जा बिक्री (मि.यू.)	1510	3233	234.20	2700.00	5476.49	1684.58	50.31
4	संशोधित टैरिफ से प्राप्त राजस्व (करोड़ रु.)	664.4	1322.62	126.00	1263.51	2432.77	847.41	14.82
5	आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) (रु./किवाघं)	4.40	4.09	28.02	4.64	4.21	5.26	21.23
6	औसत टैरिफ (रु./किवाघं)	4.92	3.52	5.40	4.68	4.44	5.03	2.95
7	कुल राजस्व अपेक्षा (करोड़ रु.)	742.50	1323.73	656.32	1253.05	2307.53	885.68	106.81
8	वर्ष के लिए निवल (अंतर) /अधिशेष (करोड़ रु.)	(78.10)	(1.11)	(539.05)	10.46	125.24	(38.27)	(91.99)
9	टीएंडडी नुकसान (%)	13.75%	11.50%	17.00%	11.75%	4.70%	8.60%	14.00%
10	क्षेत्रीय पारेषण नुकसान	3.78%	3.71%	N.A. (**)	4.67%	3.71%	3.71%	N.A. (**)
10	एसीओज के प्रतिशत के तौर पर औसत टैरिफ (%)	111.8%	86.08%	19.27%	100%	105%	96%	13.90%
11	एसीओज के % के तौर पर घरेलू	80.22%	64.30%	12%	55.34%	58.07%	50%	N.A.
12	एसीओज के % के तौर पर वाणिज्यिक	115.23%	127.02%	2.3%	112.18%	73.01%	68.28%	N.A.
13	एसीओज के % के तौर पर औद्योगिक	116.36%	109.84%	18%	119.23%	101.27%	107.98%	N.A.
14	एसीओज के % के तौर पर कृषि	52.2%	44.38%	5%	6.84%	19.04%	16.60%	N.A.
15	कुल राजस्व के % के तौर पर घरेलू राजस्व	35.5%	13.13%	33%	14.29%	1.08%	2.79%	N.A.
16	कुल राजस्व के के तौर पर वाणिज्यिक राजस्व	37%	9.95%	33%	8.76%	0.38%	2.09%	N.A.
17	कुल राजस्व के % के तौर पर औद्योगिक राजस्व	18.83%	72.08%	6%	75.32%	94.66%	86.32%	N.A.
18	कुल राजस्व के % के तौर पर कृषि राजस्व	0.06%	0.40%	0.11%	0.14%	0.02%	0.02%	N.A.

(*) आंकड़े वित्तीय वर्ष 2015–16 के समीक्षा आदेश से लिए गए हैं।

(**) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ग्रिड से संयोजित नहीं।

3.3 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी ने विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंध में, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, षिक्षा और अनुसंधान के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है। आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए नियमित तौर पर बैठकें आयोजित करता है:

i) नीतिगत प्रमुख प्रश्नों;

ii) लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामलों;

iii) लाइसेंसधारकों द्वारा उनके लाइसेंसों की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन;

iv) उपभोक्ता हितों का संरक्षण;

v) बिजली की आपूर्ति और कंपनियों द्वारा निष्पादन के समग्र मानक।

वर्ष के दौरान आयोग ने क्रमशः 19 जून, 2015 को पुदुच्चेरी और 18 दिसंबर, 2015 को दीव में दो राज्य सलाहकार समिति बैठकें (9वीं और 10वीं बैठकें) आयोजित कीं।

19.06.2015 को पुदुच्चेरी में आयोजित राज्य सलाहकार समिति की 9वीं बैठक

3.5 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान याचिकाओं की स्थिति

01.04.2015 को याचिकाएं	2
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त याचिकाएं	40
वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल याचिकाएं	42
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निपटान की गई याचिकाएं	39
31.03.2016 को याचिकाएं	3

31.03.2016 को लंबित याचिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. **याचिका सं. 174/2015** : जेईआरसी (व्यवसाय का आयोजन) विनियमन, 2009 के विनियमन 70 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत शिकायत से संबंधित मैसर्स सूर्यचक्रा पावर कॉरपोरेशन लि. बनाम विद्युत विभाग–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मामले में।

   इस मामले में अंतिम सुनवाई 10.08.2015 को हुई थी। जैसा कि माननीय एपीटीईएल और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समान मामला लंबित है इसलिए आयोग ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्च न्यायालयों द्वारा मामले के निपटान तक मामले को स्थगित कर दिया है।

2. **याचिका सं. 175/2015** : वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक बाध्यकारी इकाईयों द्वारा जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति) विनियमन, 2010 के विनियमन 1 (आरपीओ की प्रमात्रा) के अंतर्गत विनिर्देषित सोलर आरपीओ के गैर–अनुपालन के संबंध में मैसर्स ग्रीन एनर्जी एसोसिएषन (याचिकाकर्ता) बनाम जेईआरसी के क्षेत्राधिकार के अधीन विद्युत वितरण जनउपयोगिताओं के मामले में।

   इस मामले पर अंतिम सुनवाई 27.11.2015 को हुई थी जिसमें आयोग ने यह पाया कि न तो याचिकाकर्ता और न ही प्रतिवादियों ने अपने पक्ष के समर्थन में कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए आयोग ने निर्धारित शपथपत्र प्राप्त होने के बाद ही सुनवाई निर्धारित करने का निर्णय लिया।

3. **याचिका सं. 184/2015** : विद्युत खरीद समझौता दिनांक 10.01.1997 के अंतर्गत याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच उत्पन्न विवाद के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिवादी के लाइसेंस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा बिछाए गए नेटवर्क को अपने अधिकार में लेने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (च) के अधीन मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम विद्युत विभाग–गोवा के मामले में।

   इस मामले में अंतिम सुनवाई 08.01.2016 को हुई थी। आगे की सुनवाई याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के अनुरोध पर बहस पूरी होने तक विलम्बित की गई है।

4. इसके अलावा, आयोग ने अपनी स्वेच्छा से मीटरिंग के क्षेत्र एवं जनउपयोगिताओं की बिलिंग स्थिति में एक स्वयंप्रेरित (स्वो–मोटो) याचिका भी दी है जो लाइसेंसधारक के साथ–साथ उपभोक्ताओं/स्टेकहोल्डरों को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है। यह लाइसेंसधारक द्वारा मीटरिंग एवं बिलिंग निर्देषों के पूर्ण अनुपालन तक एक नियमित याचिका है।

3.6 विवादों एवं मतभेदों का निर्णय

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रस्तावना में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का विशेष उल्लेख दर्शाता है। इसके अलावा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्युत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा धारा 42(5) के अंतर्गत उपभोक्ताओं के शिकायतों के निपटान के लिए मंच का गठन करना जरूरी है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा–42 की उपधारा (6) के अंतर्गत आयोग द्वारा नियुक्त या पदनामित किए गए अनुसार लोकपाल के रूप में एक प्राधिकारी को नियुक्ति का प्रावधान भी है। उप–धारा (5) के अंतर्गत कोई भी बिजली उपभोक्ता जो अपनी शिकायत के निपटान से संतुष्ट नहीं है वह लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत के निपटान के लिए आवेदन कर सकता है।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी), गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्र, ने ''जेईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए मंच का गठन) विनियमन 2009'' और जेईआरसी (लोकपाल की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली) विनियमन, 2009'' अधिसूचित किया है। ये गोवा राज्य एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में लागू हैं। ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। ये विनियमन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- **सीजीआरएफ की स्थापना**

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निपटान मंच (सीजीआरएफ) वर्तमान में सभी संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है जिसका विस्तृत विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है।

प्रत्येक सीजीआरएफ के पास विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन धारा 126 एवं 127 (बिजली का अनाधिकृत उपयोग), धारा 135 से 139 (बिजली की चोरी और उसके अधीन अपराध एवं दंड), और धारा 161 (दुर्घटना आदि की सूचना) को छोड़कर वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की जा रही बिजली के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों/समस्याओं पर विचार करने एवं उसके निपटाने का अधिकार है।

सभी सीजीआरएफ में उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली शिकायतों के लिए मॉडल प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई गई हैं और यह जेईआरसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सीजीआरएफ को सलाह दी गई है कि वह उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निपटान के लिए उसके द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में बताएं और इसे विभिन्न बिल संग्रह केन्द्रों और लाइसेंसधारी के उप–क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर इसका प्रचार करें। यह भी सलाह दी गई है कि शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाओं की प्रतियां सीजीआरएफ के कार्यालयों में रखी जाए जिससे बिजली उपभोक्ता अपने जानकारी एवं ज्ञान के लिए बिना किसी परेशानी के इसे प्राप्त कर सकें।

वर्ष के दौरान सीजीआरएफ द्वारा निपटाई गई शिकायतें

सीजीआरएफ का क्षेत्राधिकार सीजीआरएफ द्वारा निपटाई गई शिकायतें	गोवा	चंडीगढ़	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	लक्षद्वीप	दमन एवं द्वीव	पुदुच्चेरी	दादर एवं नागर हवेली
पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया षिकायतों की सं.	11	47	01	3	2	8	5
वर्ष के दौरान प्राप्त षिकायतों की सं.	54	198	21	6	19	76	36
वर्ष के दौरान निपटान की गई षिकायतें	50	223	17	9	21	80	38
वर्ष के अंत में लंबित षिकायतों की सं.	16	22	05	0	0	04	03
दो माह से अधिक अवधि से लंबित षिकायतों की सं.	15	9	Nil	Nil	Nil	Nil	NIl
वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की सं.	33	98	105	39	22	248	18

विद्युत लोकपाल

आयोग ने गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीव, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में विद्युत लोकपाल नियुक्त किया है। कोई भी उपभोक्ता जो सीजीआरएफ द्वारा उसकी शिकायत या समस्या के न निपटाए जाने से असंतुष्ट है तो उसके पास अपनी शिकायत/समस्या या विवाद को लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प है।

लोकपाल सबसे पहले शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारी के बीच समझौता या मध्यस्था के माध्यम से आपकी सहमति द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा न होने पर संबंधित पार्टियों अर्थात उपभोक्ता और लाइसेंसधारी विभाग के तर्कों के आधार पर विवाद के मामले पर निर्णय लेता है।

लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसे अधिक से अधिक प्रचार के लिए सीजीआरएफ और लाइसेंसधारी के पास भी भेजा गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, गोवा राज्य एवं चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, पुदुच्चेरी और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई 28 शिकायतों/अपीलों में से 25 उपभोक्ता के पक्ष में निपटाई गई। इन शिकायतों की संख्या एवं विषय वस्तु अनुलग्नक–2 में दी गई है।

नई दिल्ली में 21.05.2015 को सीजीआरएफ और लोकपाल की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला

4. आयोग के वार्षिक लेखें

पिछले वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित रु. 14.67 लाख की बचत के अतिरिक्त आयोग को अनुदान–सह–सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बीई में रु. 570 लाख का बजट आबंटित किया गया

4.1 वर्ष 2015–16 के लिए रिकार्ड के अनुसार आय एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	आय (रु. लाख)	व्यय (रु. लाख)
	हाथ में राशि अग्रानीत	14.67	
क	आय		
	अनुदानों/ऋणों/छूटों द्वारा		
	भारत सरकार से (अनुदान सहायता)	100.00	—
	निम्नलिखित संस्वी.ति संख्या और तारीखों द्वारा प्राप्त सहायतानुदान		
	i. 47/6/2010-**आर एंड आर** 23.04.2015	285.00	—
	ii. 47/6/2010-**आर एंड आर** 06.08.2015	185.00	—
	iii. 47/6/2010-**आर एंड आर** 29.12.2015	285.00	—
	कुल	**570.00**	
	एफओआर से प्राप्त अंशदान/शुल्क		
	रायल्टी, प्रकाशन आदि द्वारा	—	
	बचत खाते पर ब्याज	—	
	वितरण लाइसेंसधारी से लोकपाल व्यय की प्रतिपूर्ति	40.13	
ख	**व्यय:**		
1.	वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	—	36.66
2.	वेतन (अधिकारी एवं प्रतिष्ठान)	—	77.55
3.	व्यावसायिकों एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान		
	(क) व्यावसायिक	—	71.36
	(ख) अन्य सेवाएं	—	40.26
	(i) कार्मिकों की आउटसोसिंग 35.07	—	—
	(ii) हाउसकीपिंग कार्य के लिए आउटसोर्सिंग 3.07	—	—
	(iii) सुरक्षा कार्मिकों की आउटसोर्सिंग 2.12	—	—
4.	घरेलू यात्रा	—	42.41
5.	विदेशी यात्रा	—	—

6.	सीपीएफ *	__	1.44
7.	विद्युत एवं ऊर्जा	__	10.16
8.	किराया दर एवं कर	__	144.99
9.	वाहन (वाहन का किराया)	__	15.60
10.	डाक, टेलीफोन एवं संचार शुल्क	__	3.96
11.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	__	1.87
12.	एफओआर/एफओआईआर आदि को शुल्क	__	12.60
13.	सेमिनार एवं बैठकें		8.8
14.	कानूनी शुल्क	__	2.90
15.	विज्ञापन एवं प्रकाशन	__	13.44
16.	**अन्य:**		
	(क) कार्यालय व्यय 11.15	__	11.23
	(ख) बैंक प्रभार 0.08	__	__
	(ग) विविध	__	__
17.	मशीनरी एवं उपकरण	__	4.25
18.	फर्नीचर एवं फिक्चर	__	—
19.	लोकपाल पर व्यय	__	43.84
	कुल	__	**551.33**
	बैंक शेष	__	**73.47**
	कुल	**624.80**	**624.80**
*	**सीपीएफ अध्यक्ष एवं सदस्य के संबंध में सरकारी अशंदान है**		

4.2 शुल्कों एवं प्रभारों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क

क्र. सं.	प्राप्ति की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	राशि (रु. में)
1.	20.04.2015	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	37,74,000
2.	04.06.2015	विद्युत विभाग, दमन एवं द्वीव	41,94,000
3.	17.02.2016	विद्युत विभाग, डीएनएचपीडीसीएल	2,09,00,000
4.	14.04.2015	विद्युत विभाग, डीएनएचपीडीसीएल (पारेषण प्रभाग)	7,00,000
	12.02.2016	विद्युत विभाग, डीएनएचपीडीसीएल (पारेषण प्रभाग)	10,00,000
5.	05.02.2016	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	1,26,983
	कुल		**3,06,94,983**

• वित्त वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क

क्र. सं.	**प्राप्ति की तिथि**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य**	**राशि (रु. में)**
1.	28.03.2016	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	1,69,000
2.	31.03.2016	विद्युत विभाग, पुदुच्चेरी	1,39,94000
	कुल		**1,41,63000**

• वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए याचिका शुल्क

याचिका शुल्क के रूप में कुल रु. 2,39,03,303 (दो करोड़ उन्तालीस लाख तीन हजार तीन सौ तीन रुपए) प्राप्त किए गए जिसका विवरण अनुलग्नक–3 में दिया गया है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना का विवरण

श्री डी.आर. परमार, निदेशक (इंजीनियरिंग) को आयोग के जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए आवेदन और निपटाए गए आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:

प्राप्त आवेदन	10
आवेदन	10
आवेदन जिसमें सूचना अस्वीकार की गई	Nil

6. आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना

6.1 वार्षिक राजस्व आवश्यकता और शुल्क का निर्धारण

आयोग वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए परिणाम और सात वितरण लाइसेंसधारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए शुल्क का निर्धारिण करेगा। आयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए व्यवसाय कार्य आदेश की तुलना में शुल्क निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में वास्तविक कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा करेगा।

6.2 उत्पादन एवं पारेषण शुल्क आदेश

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पीपीसीएल हेतु उत्पादन शुल्क आदेश एवं ईडी–डीएनएच हेतु पारेषण शुल्क आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान समान्य सौर शुल्क

आयोग जेईआरसी के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी वितरण लाइसेंसधारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान लागू समान्य सौर शुल्क आदेश जारी करेगा।

6.4 विनियमनों में संशोधन

28.01.2016 को संशोधित शुल्क नीति के आधार पर विनियमनों को संशोधित किया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित किए जा सकते हैं।

6.5 राज्य सलाहकार समिति बैठक

जेईआरसी (राज्य सलाहकार समिति), विनियमन, 2009 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सलाहकार समिति की नियमित बैठकों की योजना बनाई जा रही है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में समिति की दो बैठकें निर्धारित की गई हैं।

अनुलग्नक-1

सभी संघ राज्य क्षेत्र में सीजीआरएफ का विवरण

क्र. सं.	सीजीआरएफ का नाम	सदस्य का नाम	पदनाम	कार्यालय पता	सम्पर्क नं.	ई–मेल
1	गोवा	1. श्री डी.जी. देशपाण्डे 2. रिक्त 3.श्रीमती सान्द्रा वेज ई कोरिया	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	विद्युत भवन, चौथा तल, केटीसी स्टेंड के नजदीक, मुंडवेल, वोस्को डि गामा, गोवा–403802	08007275779 0832-2501836 09422063637	dgdeshpande24@gmail.com adv.sandracorreia@gmail.com
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1. श्री यामीन मोहम्मद मुरतजा 2. रिक्त 3. श्री बासुदेव दास	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निपटान मंच, हॉर्टिकल्चर रोड, हड्डो (पीओ) अंडमान एवं निकोबाद द्वीप समूह	09434289754 03192-244822(O) 09679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3	चंडीगढ़	1.श्री आर.के.अरोड़ा 2. श्री राम लक्ष्मण मित्तल 3. श्री जी.डी. सैनी (20.11.2015 तक)	अध्यक्ष नामांकित सदस्य सदस्य	कमरा नं. 531 एवं 530, पांचवा तल,. यूटी सचिवालय, डिलक्स बिल्डिंग, सैक्टर–9डी, चंडीगढ़	09357156161 (0172-2745531) 08872441999	chairpersoncgrf@gmail.com
4	दमन एवं द्वीव	1. श्री ए.पी. वागमरे 2. श्री टी.डी. दावडा 3. श्री एम.एन. कुलकर्णी	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	विद्युत विभाग, पावर हाउस बिल्डिंग, सी फेसिंग रोड, नानी, दमन–395210	09833849653 09978228900 09969143683	anil.india28@gmail.com tarundavda@rediffmail.com
5	दादर एवं नागर हवेली	1. श्री बी.एन. मेहता 2. श्री चन्द्रकांत एम. पारेख 3.रिक्त	अध्यक्ष नामांकित सदस्य सदस्य	विद्युत विभाग, दादर एवं नागर हवेली, 66केवी स्टेषन, अमली रोड, सिलवासा–396230	09825400184 09824110521	chairperson-cgrf@rediffmail.com
6	लक्षद्वीप	1. श्री एम.एन. चन्द्रन 2 श्री पी. अमीर 3. रिक्त	अध्यक्ष नामांकित सदस्य सदस्य	विद्युत सीजीआरएफ, पावर हाउस के नजदीक, कवाराती, लक्षद्वीप संघ राज्य– 682555	9446141777 9995370504	Lk-ktelect@nic.in
7	पुदुच्चेरी	1.श्री के रामासुब्रमणियण 2. श्री डी. गुणाशेकरण 3. श्री जी. वेंकटेशन	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	नं. 6, 17वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पुदुच्चेरी–605 005	0413-2201351 0413-2201451	cgrfpon@gmail.com

अनुलग्नक-2

वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत लोकपाल द्वारा निपटाई गई शिकायतें/अपील

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिनिधित्व संख्या	विषय मामला	टिप्पणी
गोवा	01	1. बिल विवाद	1. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी
चंडीगढ़	02	1. बिल विवाद 2. मीटर तेज चलना (खराब मीटर) 3. मीटर तेज चलना (खराब मीटर) 4. अधिक बिल (बिल विवाद) 5. मीटर तेज चलना (खराब मीटर) 6. मीटर तेज चलना (खराब मीटर) 7. बिल विवाद 8. अधिदेश को लौटाना 9. लोड के अधीन अधिक प्रभार की समीक्षा (बिल विवाद) 10. लोड के अधीन अधिक प्रभार की समीक्षा (बिल विवाद) 11. कनेक्टेड लोड का विस्तार 12. अधिक राशि को लौटाना 13. विलंब शुल्क में छूट देने के लिए अनुरोध 14. दण्ड लगाई गई राशि को लौटाने हेतु अनुरोध 15. नया कनेक्शन 16. विविध प्रभार में छूट देने के लिए अनुरोध 17. बिल विवाद 18. बिल विवाद 19. विविध प्रभार में छूट हेतु अनुरोध 20. बिल विवाद	1. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 2. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 3. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 4. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 5. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 6 दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 7. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 8. लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच आपसी सहमति से निपटान 9. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 10. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 11. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 12. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 13. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 14. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 15. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 16. दाखिल और लाइसेंसधारी के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 17. दाखिल और लाइसेंसधारी के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 18. दाखिल और लाइसेंसधारी के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 19. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 20. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिनिधित्व संख्या	विषय मामला	टिप्पणी
दादर एवं नागर हवेली	01	1. सर्विस कनेक्शन को हटाना	1. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला / आदेश जारी
पुदुच्चेरी	05	1. खराब मीटर 2. नया कनेक्शन 3. अलग सर्विस कनेक्शन को हटाना 4. खराब मीटर 5. अधिक बिल	1. लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच आपसी सहमति से निपटान 2. दाखिल और लाइसेंसधारी के पक्ष में फैसला / आदेश जारी 3. दाखिल और लाइसेंसधारी के पक्ष में फैसला / आदेश जारी 4. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला / आदेश जारी 5. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला / आदेश जारी
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	01	1. कम वोल्टेज की समस्या	1. लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच आपसी सहमति से निपटान

परिशिष्ट–3

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त याचिका शुल्क

क्र. सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विद्युत विभाग (ईडी)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अन्य)	राशि (रु. में)
1.	09.04.15	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	एमवाई याचिका दाखिल करने के लिए समय के विस्तार के लिए शुल्क	10,000/-
2.	18.05.15 22.05.15	मैसर्स वैलनून पॉलीस्टर लिमिटेड	दमन एवं द्वीव के लिए जेईआरसी टी.ओ. दिनांक 31.03.15 में अधिसूचित क्रॉस सब्सिडी अधिभार निर्धारण की समीक्षा के लिए शुल्क	10,000/- 15,000/-
3.	22.05.15	मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) के अंतर्गत याचिका	5,00,000/-
4	18.05.15	मैसर्स शिवशक्ति ऊर्जा प्रा. लि.	पी. नं. 151/2014 के मामले में आदेश दिनांक 01.04.15 की सत्यापित प्रति के लिए शुल्क	663/-
5.	27.05.15	मैसर्स जुआरी फूड्स एवं फ्रेम्स प्रा. लि. एवं ट्रॉपिकल मशरूम्स प्रा. लि.	शुल्क आदेश दिनांक 06.04.15 के अधीन पुर्नविचार याचिका के लिए शुल्क	25,000/-
6.	27.05.15	ईडी–चंडीगढ़	प्रशुल्क आदेश वित्त वर्ष 15–16 दिनांक 10.04.15 के संबंध में पुर्नविचार याचिका	72,550/-
7.	05.06.15	मैसर्स ट्रेवल एंड टयूरिज्म एसोसिएशन ऑफ गोवा, रिविरा डे गोवा रेजार्ट एवं नानू रिजार्ट प्रा. लि.	प्रशुल्क आदेश दिनांक 06.04.15 के अधीन पुर्नविचार याचिका के लिए शुल्क	25,000/-
8.	05.06.15	मैसर्स ग्रेस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	एपीपीसी–सोलर पावर के लिए अनुरोध हेतु शुल्क	1,000/-
9.	01.06.15	ईडी–गोवा	प्रशुल्क आदेश दिनांक 06.04.15 के अधीन पुर्नविचार याचिका	77,000/-
10.	08.06.15 26.06.15	मैसर्स जय भुवन बिल्डर्स प्रा. लि. गोवा	प्रशुल्क आदेश दिनांक 06.04.15 के अधीन पुर्नविचार के लिए शुल्क	25,000/- 25,000/-
11.	08.06.15 26.06.15	मैसर्स एलकॉन सीमेंट कम्पनी लि. एवं काउंटो माइक्रोफाइन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	प्रशुल्क आदेश दिनांक 06.04.15 के अधीन पुर्नविचार याचिका के लिए शुल्क	25,000/- 25,000/-

क्र. सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विद्युत विभाग (ईडी)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अन्य)	राशि (रु. में)
12.	29.06.15	मैसर्स ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन	डीएनएच के यूटी द्वारा स्वयं–प्रेरित पी.नं. 61 / 12 में आदेश दिनांक 05.05.14 के गैर–अनुपालन के लिए याचिका	1,000/-
13.	06.07.15	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	ए एंड एन की एमवाईटी याचिका दाखिल करने के लिए समय के विस्तार के लिए शुल्क	10,000/-
14.	06.07.15	मैसर्स सूर्यचक्रा पॉवर कॉरपोरेशन लि., हैदराबाद	जेईआरसी (सीओबी) विनियमन, 2009 के साथ पठित ईए, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत याचिका दाखिल करने के लिए शुल्क	5,000/-
15.	10.07.15	मैसर्स ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन	डीएनएच के यूटी द्वारा स्वयं–प्रेरित पी.नं. 61 / 12 में आदेष दिनांक 05.05.14 के गैर–अनुपालन के लिए याचिका हेतु शुल्क का अंतर	4,000/-
16.	21.07.15	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि.	डीएनएचपीडीसीएल दिनांक 01.04.15 के शुल्क आदेश के लिए समिक्षा याचिका	93,500/-
17.	21.07.15	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि.	डीएनएच संघ राज्य क्षेत्र में एलईडी बल्ब हेतु डीईएलपी के कार्यान्वयन के लिए याचिका	10,000/-
18.	06.08.15	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि.	डीएनएच संघ राज्य क्षेत्र में एलईडी बल्ब के लिए डीईएलपी के कार्यान्वयन हेतु माननीय आयोग से अनुमोदन लेने हेतु याचिका शुल्क	10,000/-
19.	06.08.15	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि.	पुर्नविचार याचिका दाखिल करने के लिए विलंब हेतु माफ करना	20,000/-
20.	18.08.15	ईडी–पुदुच्चेरी	एमवाईटी अवधि वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु शुल्क	1,00,000/-
21.	18.08.15	ईडी–दमन	एमवाईटी अवधि वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु शुल्क	1,00,000/-

क्र. सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विद्युत विभाग (ईडी)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अन्य)	राशि (रु. में)
22.	25.08.15	ईडी–चंडीगढ़	एमवाईटी अवधि वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल	10,000/-
23.	25.08.15	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि.	वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु शुल्क	1,00,000/-
24.	25.08.15	ईडी–चंडीगढ़	वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु शुल्क	1,00,000/-
25.	01.09.15 16.09.15	मैसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (च) के अंतर्गत याचिका	5,00,000/- 5,00,000/-
26.	01.09.15	मैसर्स मर्क लिमिटेड	मर्क लि. के बायोमास आधारित कैप्टिव पावर प्लांट से ईडी–गोवा तक प्रशुल्क एवं अधिभार विद्युत के लिए याचिका शुल्क	3,00,000/-
27.	08.09.15	ईडी–चंडीगढ़	एमवाईटी वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु विस्तार शुल्क	10,000/-
28.	16.09.15	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु शुल्क	1,00,000/-
29.	16.09.15	ईडी–गोवा	वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु समय के विस्तार हेतु शुल्क	20,000/-
30.	16.10.15	ईडी–गोवा	वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु शुल्क	1,00,000/-
31.	17.10.15	ईडी–गोवा	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु समय का विस्तार	20,000/-
32.	30.10.15	ईडी–पुदुच्चेरी	एनएलसी के साथ होने वाले पीपीए के अनुमोदन हेतु शुल्क	2,00,000/-
33.	30.10.15	मैसर्स एसोसिएशन ऑफ पॉलीस्टर कंटीन्यूअस पॉलीमिरिजेशन इंडस्ट्रीज ऑफ डीएनएच	डीएनएच (पारेषण प्रभाग) के वित्तीय वर्ष 15–16 के लिए जेईआरसी आदेश दिनांक 30.03.15 की समीक्षा के लिए शुल्क	25,000/-

क्र. सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विद्युत विभाग (ईडी)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अन्य)	राशि (रु. में)
34.	19.11.15	ईडी–लक्षद्वीप	व्यवसाय योजना दाखिल करने के लिए समय के विस्तार के लिए शुल्क	20,000/-
35.	30.11.15	मैसर्स एसोसिएशन ऑफ पॉलीस्टर कंटीन्यूअस पॉलीमिरिजेशन इंडस्ट्रीज ऑफ डीएनएच	डीएनएच (पारेषण प्रभाग) के वित्तीय वर्ष 15–16 के लिए जेईआरसी आदेश दिनांक 30.03.15 की समीक्षा के लिए शुल्क	20,000/-
36.	14.12.15	मैसर्स सिलवासा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	अप्रैल–12 से मार्च–15 के बीच की अवधि से संबंधित अतिरिक्त एफपीपीसीए की उगाही को राकने हेतु शुल्क	5,000/-
37.	14.12.15	मैसर्स सिलवासा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	इस निर्देष के लिए आवेदन हेतु शुल्क कि एफपीपीसीए संषोधित करने का प्रतिवादी का कार्य निर्धारित सूत्र के विरूद्ध है	5,000/-
38.	14.12.15	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु समय के विस्तार हेतु शुल्क	20,000/-
39.	14.12.15	पुदुच्चेरी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 16–17 के लिए प्रशुल्क देरी याचिका दाखिल करने हेतु को माफ करने हेतु शुल्क	20,000/-
40.	16.12.15	ईडी–लक्षद्वीप	वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु शुल्क	1,00,000/-
41.	11.01.16	पुदुच्चेरी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए व्यवसाय योजना दाखिल करने हेतु शुल्क	15,00,000/-
42.	11.01.16	ईडी–पुदुच्चेरी	नियंत्रण अविध वित्तीय वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए एमवाईटी याचिका दाखिल करने हेतु शुल्क नियंत्रण अवधि वित्तीय	23,66,310/-
43.	13.01.16	ईडी–लक्षद्वीप	वर्ष 16–17 से वित्तीय वर्ष 18–19 के लिए एमवाईटी याचिका दाखिल करने हेतु शुल्क	10,00,000/-
44.	20.01.16	मैसर्स सिलवासा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन	अप्रैल–2012 से मार्च–2015 के बीच की अवधि से संबंधित अतिरिक्त एफपीपीसीए की उगाही को राकने हेतु शुल्क	5,000/-
45.	21.01.16	ईडी–दमन एवं द्वीव	दमन एवं द्वीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमवाईटी याचिका एवं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने हेतु शुल्क	18,00,470/-

क्र. सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विद्युत विभाग (ईडी)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अन्य)	राशि (रु. में)
46.	21.01.16	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमवाईटी याचिका एवं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने हेतु शुल्क	58,12,590/-
47.	30.01.16	ईडी–डीएनएच (पारेशण प्रभाग)	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ईडी–डीएनएच पारेषण प्रभाग के लिए एआरआर याचिका और प्रशुल्क प्रभार	20,00,000/-
48.	16.02.16	ईडी–गोवा	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमवाईटी याचिका एवं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने हेतु शुल्क	33,51,810/-
49.	16.02.16	ईडी–गोवा	नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमवाईटी याचिका एवं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने हेतु समय के विस्तार के लिए शुल्क	20,000/-
50.	17.02.16	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमवाईटी याचिका एवं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने हेतु शुल्क	10,00,000/-
51.	03.03.16	ईडी–चंडीगढ़	नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमवाईटी याचिका एवं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने हेतु शुल्क	16,17,410/-
52.	30.03.16	मैसर्स सूर्यचक्रा पावर कॉरपोरेशन लि.	याचिका सं. 174 / 2015 में पहले सुनवाई के लिए आवेदन	5,000/-
53.	30.03.16	ईडी–पुदुच्चेरी	माननीय आयोग से अनुमोदन चाहने हेतु मिश्रित याचिका दाखिल करने का शुल्क	20,000/-
54.	30.03.16	ईडी–चंडीगढ़	ड्राफ्ट सोलर नेट / सकल मीटरिंग विद्युत खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए याचिका	20,000/-
55.	30.03.16	ईडी–चंडीगढ़	रु. 10 करोड़ से अधिक राशि के 03 नग 66 केवी वर्क्स के लिए पूंजी व्यय के अनुमोदन हेतु याचिका	20,000/-
			TOTAL	**2,39,03,303**

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA & UNION TERRITORIES)

Joint Electricity Regulatory Commission
(For the State of Goa and Union Territories)

2nd Floor, HSIIDC Complex, 'Vanijya Nikunj',
Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016 (Haryana)
E-mail: secy-jerc@nic.in
Website: www.jercuts.gov.in

Contents

S.No.	Content	Page No.
	From the Desk of the Chairman	
1.	**Organizational Setup of the Commission**	2
1.1	Introduction	3
1.2	Profile of the Members of the Commission	4-5
1.3	Office of the Commission	6
1.4	Organization Chart	7
2.	**Role of the Commission under the Electricity Act, 2003**	
2.1	The Preamble to the Act	8
2.2	The Functions mandated to the Commission	8-9
3.	**Highlights of the Financial Year 2015-16**	
3.1	Framing/Amendment of new Regulations	10
3.2	Business Plan & ARR for the First Control period and the Tariff determination	11-12
3.3	Important parameters of the electricity utilities under jurisdiction of JERC	13
3.4	State Advisory Committee Meetings	14
3.5	Status of Petitions	15
3.6	Adjudication of Disputes and Differences	16-18
4.	**Annual Accounts**	
4.1	Income and Expenditure statement	19-20
4.2	Fees and Charges	21
5.	**Information under the Right to Information Act, 2005**	21
6.	**Work Plan for year ahead**	23
7.	**Annexure**	23-30

From the Desk of Chairman

Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) ever since it came into existence in August, 2008 has been striving to fulfill the duties and responsibilities assigned to it under the Electricity Act, 2003. In its journey of more than 7 years, it has effectively performed the role of monitoring the performance of the utilities, while balancing the interest of all the stakeholders and consumers, be it retail or bulk consumers.

The Commission continued its journey in a proactive manner and reached new heights during the financial year 2015-16 in its efforts to further improve the regulatory framework for the power sector of the State of Goa and Union Territories.

The Commission framed the Multi-Year Distribution Regulations, 2014 according to which the licensees were directed to submit their Petitions for Tariff determination and Business Plan for the period from FY 2015-16 to FY 2017-18 last year. However, due to non-availability of adequate data in the Petitions filed by the licensees, the Commission decided to defer the implementation of the MYT regime by one year. During the current year, the Commission received the Petitions for Business Plan & Tariff determination from all the licensees and successfully issued the Business Plan Orders and Tariff Orders for the first Control period from FY 2016-17 to FY 2018-19 after conducting the Public Hearings at the respective State and UTs of the licensees.

The Commission continued its efforts to promote renewable energy even more vigorously. The Commission notified Solar Power - Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering Regulations, 2015 on 8th May 2015. To create more awareness and understanding amongst the generators, licensees, consumers and stakeholders, the Commission adopted a focused approach and arranged detailed presentations of the Solar Regulations and their implications during the public hearings in all the territories.

To protect the interest of the consumers and make the grievance redressal mechanism more effective, the Commission held frequent meetings with the Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) & organized a one day workshop for the Chairman & Members of the CGRFs.

The Commission interacted with the representatives of consumer organization, industry association and other institutions through State Advisory Committee Meetings. These meetings are held regularly to understand the views of the members representing a cross section of the consumers and stakeholders on the major questions of policy, matters relating to quality, continuity and extent of services provided by the licensees, compliance of the license conditions by the licensees, protection of consumer interest and the electricity supply and overall standard of performance by the utilities. The Commission also interacted regularly with various organizations connected with the electricity sector.

Sh. S.K. Chaturvedi
Chairperson

1. Organizational set-up of the Commission

1.1 Introduction

In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Electricity Act, 2003, the Central Government constituted a two member (including Chairperson) Joint Electricity Regulatory Commission for all Union Territories except Delhi to be known as 'Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories' with Headquarters at Delhi, as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R dated 2nd May, 2005. Later, with the joining of the State of Goa, the Commission came to be known as the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories' as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R (Vol. II) on 30th May, 2008. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories started functioning with effect from August 2008. The office of the Commission is presently located in a rented building in the district town of Gurgaon, Haryana.

During the year the Commission has endeavored to set up a fair, transparent and objective regulatory process in the State of Goa and Union Territories. The Eighth Annual Report of the Commission presents the activities of the Commission during the Financial Year 2015-16.

The Commission, for the purpose of any inquiry or proceedings under the Electricity Act, 2003 has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the matters listed under sub-section (1) of Section 94 of the Act.

All proceedings before the Commission are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission is deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission has the sole jurisdiction to adjudicate or nominate arbitrator(s) to arbitrate and resolve all disputes arising between generating companies and the licensees.

1.2 Profile of the Members of the Commission

Sh. S.K. Chaturvedi
Chairperson

Sh. S. K. Chaturvedi has pursued M.Sc. (Special) in Geology from Lucknow University and PG Diploma in Personnel Management & Industrial Relations from Andhra Pradesh Productivity Council. He has also pursued Advance Management Programme from ASCI, Hyderabad.

In a career spanning about 35 years, Sh. S. K. Chaturvedi has served in leading Public Sector Undertakings such as National Mineral Development Corporation, National Thermal Power Corporation, Power Grid Corporation of India and National Hydroelectric Power Corporation. He has the rare distinction of having experience in generation, both Thermal & Hydro, and Power Transmission Projects.

In August 2008, he was appointed as Chairman and Managing Director of 'POWERGRID, a Navratna CPSU, and took the challenge of developing the transmission system for the XI & XII Five Year Plan targets of GoI for the power sector. Under his leadership, POWERGRID, during FY 2008-09, 2009-10 & 2010-11, achieved significant milestones such as exceeding budget utilization target & overall MoU targets, successful Follow on Public Offer (FPO) of shares in POWERGRID, timely commissioning of projects of national importance like National Load Despatch Centre (NLDC) Project & prestigious consultancy assignment in Afghanistan etc.

Sh. Chaturvedi joined JERC, in May, 2012 initially as Member and subsequently assumed charge as Chairperson in Feb., 2014.

He has been conferred with many Awards, notably, "Best CEO Award 2009" by World HRD Congress, “Change Master” Award by Delhi Chapter of National HRD Network, “National HRD Network Award” for Best HR Practices, “PR Excellence Award” by Public Relations Society of India and Fellowship of AIMA for professional contribution in the field of management.

Sh. Chaturvedi held the position of President of “Very Large Power Grid Operators of the World”, and Vice Chairman “CBIP”. He is currently holding the post of President “IIPE”.

Smt. Neerja Mathur
Member

During the year, Smt. Neerja Mathur assumed the charge of Member, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) w.e.f. 26.08.2015. Earlier, Smt. Neerja Mathur held office as the Chairperson of Central Electricity Authority (CEA) from 01.11.2013 to 31.12.2014. An officer of the CPES cadre, Smt. Neerja Mathur had joined the CEA in July 1979 as Assistant Director through UPSC and has acquired versatile experience of about 34 years in the development of power sector over the period of her wide and varied work experience in various capacities in the CEA. Smt. Neerja Mathur is a technical professional from the stream of Electronics & Communication Engineering with a Graduate Degree from IIT, Roorkee and M. Tech. Degree from IIT, Delhi.

With an initial stint in the area of power system protection and instrumentation and appraisal of transmission schemes, Smt. Neerja Mathur had worked extensively in the area of Planning, Load Despatch and Telecom facilities in the Power Sector. During her tenure as Director and Chief Engineer in the Integrated Resource Planning Division, Smt. Neerja Mathur was associated with both short term and long term Generation Planning & Load Forecasting. She has been proactively involved in framing the National Electricity Plan and Working Group Reports for the five year plan periods for the integrated resource planning in the country. She was instrumental in the preparation of National Electricity Plan brought out in April 2007 covering 11th Plan in detail and perspective for 12th & 13th Plans. Smt. Mathur has also guided the formulation of the subsequent National Electricity Plan which is under publication covering 12th Plan in detail and perspective for 13th & 14th Plans. As Chief Engineer of Operation Monitoring Division, she was entrusted with fuel monitoring of power stations in the country and to address the issues related to availability of fuel.

Smt. Neeja Mathur took over as Member (Grid Operation & Distribution), CEA & Ex-officio Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 1st March 2013 with responsibility of grid management, distribution system functionality and operational performance of generating units. In her tenure as Chairperson, CEA since 1st November 2013, Smt. Neerja Mathur was involved in the overall planning and coordination of all the facets of power sector of the country in its entirety. The thrust has been to facilitate the generation capacity addition and commensurate development of transmission system with strengthening of distribution network as well.

As part of responsibilities attached to the post of Chairperson, CEA, Smt. Neerja Mathur was associated in important matters of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) as Ex-officio Member of CERC. By virtue of her professional expertise, she has held Chairmanship/Membership of the important Committees/Groups associated with Power Sector.

1.3 Office Of The Commission

The Commission operates through rented premises located at HSIIDC Building in Udyog Vihar in Gurgaon, Haryana. The Commission office is connected through Local Area Network (LAN), which is useful for accessing any useful reference information. The Commission has its own website (www.jercuts.gov.in), which is redesigned and regularly maintained and updated by its Secretariat. The website is used for informing hearing schedules, news, updates, inviting comments on concept papers, Regulations, Petitions and uploading of notified Regulations, Orders of the Commission, details regarding etc. It also provides information on Consumer Grievances Redressal Forums and Ombudsman and guides consumers for redressal of their grievances.

During the year, Smt. Rinku Gautam, Director (TE) from HPERC joined the Commission as Director (Finance & Law) w.e.f. 21.09.2015 on deputation and Smt. Kavita Verma joined as Principle Private Secretary w.e.f. 01.10.2015 on deputation.

Hearing at Court Room of the JERC, Gurgaon

1.5 Organization Chart

The Organisation Chart based on the sanctioned and operating staff strength is as below:-

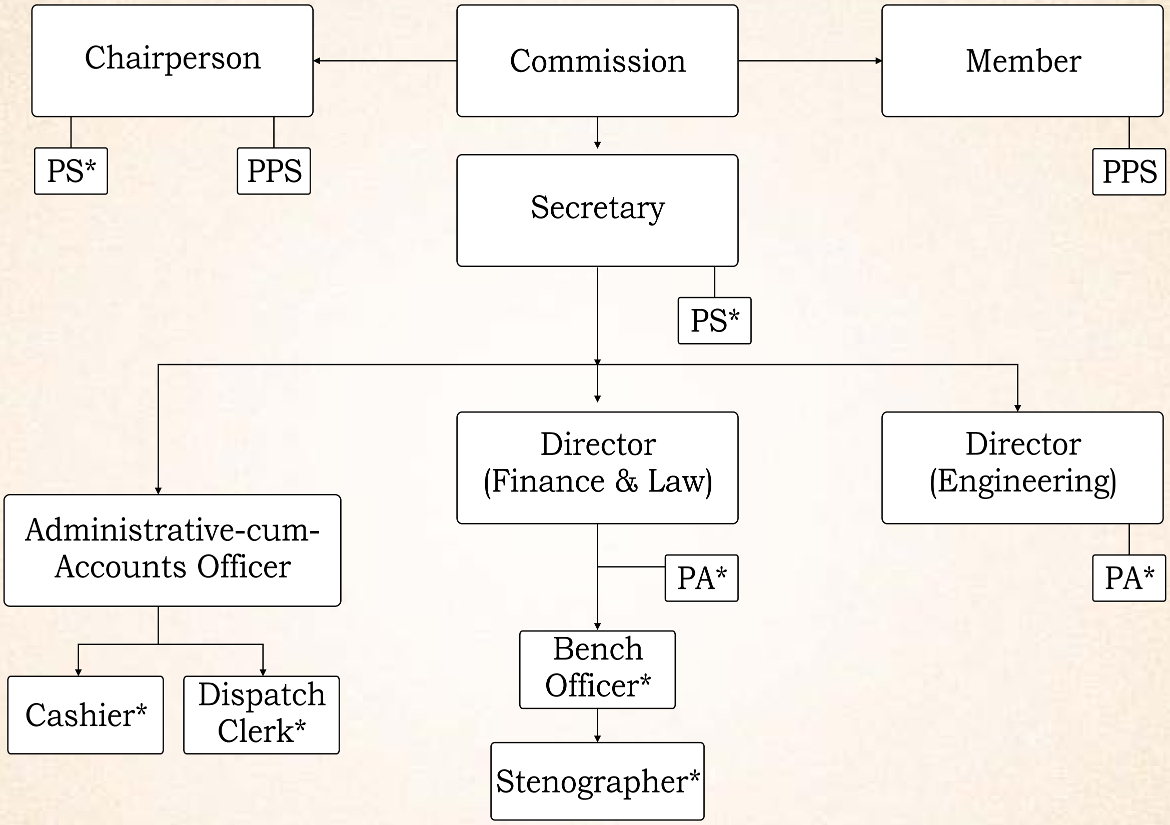

* Vacant

2. ROLE OF THE COMMISSION UNDER THE ELECTRICITY ACT, 2003

2.1 The Preamble to the Act

The Electricity Act, 2003 aims to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff etc.

2.2 The Functions mandated to the Commission

According to the Electricity Act, 2003, the JERC is committed to create an efficient and economically viable electricity system in the State of Goa and the Union Territories, balancing the interests of all stakeholders while fulfilling its primary responsibility to ensure reliable supply of power at affordable rates and is guided by the principles of transparency, accountability, equatability and participation in discharge of its functions, to safeguard the interests of the licensees and generating companies in the State of Goa and the Union Territories and to give a fair deal to consumers at the same time. To achieve the above, the Commission is mandated to carry out the following functions u/s 86(1) of the Electricity Act, 2003-

a) determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State:

   Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the State Commission shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;

b) regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;

c) facilitate intra-state transmission and wheeling of electricity;

d) issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State/ Union Territories;

e) promote co-generation and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

f) adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration;

g) levy fee for the purposes specified under this Act;

h) specify State Grid Code consistent with the Indian Electricity Grid Code (IEGC)

specified by Central Electricity regulatory Commission;

i) specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;

j) fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary;

k) discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

As per Section 86(2) of the Act, the Commission shall advise the State/ Union Territory Government on all or any of the following matters, namely:-.

i) promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;

ii) promotion of investment in electricity industry;

iii) reorganization and restructuring of electricity industry in the State/ UTs

iv) matters concerning generation, transmission , distribution and trading of electricity or any other matter referred to the Joint Commission by the Government.

In terms of Section 86(3), the Commission shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions; and, as per section 86(4), in discharge of its functions the Commission is guided by the Electricity Act, 2003, the National Electricity Policy, National Electricity Plan and Tariff Policy.

Commission apprising the MoP about challenges of JERC

3. Highlights of the Financial Year 2015-16

3.1 Framing of new Regulations

The Commission has so far framed and notified 19 Regulations, which includes new Regulations framed during the year.

(i) During the year, one of the important Regulations framed and notified by the Commission on 15th May, 2015 in line with the National Solar Mission was the Grid Connected Solar Roof Top Regulations 2015, which are unique as they allow for gross metering as well as net metering, whatever mode motivates the generator/consumer. There are also provisions for Group Net Metering, Free Banking and wheeling facility, Solar for residential or commercial co-operatives, etc.

To promote and create better understanding of the concepts and provisions of the Solar Regulations, the Commission arranged a special hearing of the Generators/Stakeholders/consumers in all the territories under its jurisdiction, along with the Public hearings conducted for the MYT Petitions.

These consumer friendly regulations have enabled Chandigarh to become the territory with the highest roof top installations. A number of solar installations have also come up in the other territories of the Commission.

The Commission has been successful in seeking compliance of Renewable Purchase Obligations (RPOs) from most of the territories under its jurisdiction.

(ii) During the year, the Commission repealed the JERC (Standard of Performance) Regulations, 2009 to make the Regulations more comprehensive and exhaustive to provide for certain important provisions viz. monitoring mechanism, formats for registering complaints, periodical reports etc. in the light of experience gained over a period of time and feedback received from stakeholders.

Accordingly, the Commission notified the JERC (Standards of Performance for Distribution Licensees) Regulations, 2015 on 24.07.2015.

3.1.1 Amendment in Regulations

JERC constantly reviews the Regulations in light of the latest developments in the electricity sector. The Regulations amended or superseded are as under:-

(i) Considering the greater thrust and new policy initiatives of the Central Government on promoting and accelerating development of renewable sources of energy on a much larger scale, administrative and operational expediency of implementation and based on the experience gained over a period of time, the Commission amended the **JERC (Procurement of Renewable Energy) Second Amendment Regulations, 2015 duly notified on 22nd December, 2015.**

Commission witnesses the Solar Power Agreement & Solar Power Generation

3.2 Business Plan & ARR for the First Control period and the Tariff determination

This year the Commission implemented the Multi Year Tariff (MYT) Framework under which it had to approve the Business Plan and the Aggregate Revenue Requirements for the first Control Period of three years, i.e. from FY 2016-17 to FY 2018-19 for all the Utilities under its control. The Commission also had to determine the tariff for the distribution business of electricity for the FY 2016-17 duly considering the consequential impact of the Annual Performance Review and the True-ups for the previous financial year(s) for the Electricity Departments under its jurisdiction.

During the year the Commission received Petitions from all the seven utilities for approval of the Business Plan for the Control period from FY 2016-17 to FY 2018-19. The primary focus of a business plan is on identification of various schemes/works related to meeting of the power requirements of the State/UT, improvement in the performance efficiency by way of reduction in losses and improvement in quality of supply to the consumers. After detailed scrutiny of the information and documents filed with the Petition and subsequently during the course of Technical Validation Sessions, comments received from the stakeholders and information provided during the Public hearings, the Commission approved the Business Plan Orders for all the seven Utilities.

Subsequent to the approval of the Business Plan Petitions, the Commission disposed off the MYT Petition/(s) received from all the licensees for determination of the Aggregate Revenue Requirements (ARR) for the first Control period. The Commission also received the submissions made by the licensees relating to the Annual Performance Review (to analyze the variations between the approved and the revised/actual figures) and the True-ups (to analyze the variations between the approved and audited figures) for the previous years, as a part of the MYT Petitions. Based on the information provided in the Petitions and subsequently during the Technical Validation Sessions, comments of the Stakeholders/consumers received before and at the time of the Public hearings conducted at the State/UTs and after exercising due-diligence, prudence checks and following due process of law, the Commission approved the MYT ARR Orders for the FY 2016-17 to FY 2018-19 and determined tariff for the FY 2016-17.

Most of the Tariff Orders of the Utilities were issued within the scheduled time and they have been well received by all the Departments.

3.3 Important parameters of the electricity utilities under jurisdiction of JERC:

FY 2015-16 (*)

		UTILITIES						
S. No.	Particulars	Chandigarh	Goa	Andaman & Nicobar Islands	Puducherry	Dadra and Nagar Haveli	Daman & Diu	Laksha -dweep
1	No. of Consumers	216184	620047	131230	441910	66083	58979	21695
2	Connected Load (in kW/kVA)	1454240	2757234	188381	N.A.	1416853.53	826123 kVA	8424 kVA
3	Energy Sales (MUs)	1510	3233	234.20	2700.00	5476.49	1684.58	50.31
4	Revenue Realised from revised tariff (Rs. Crs)	664.4	1322.62	126.00	1263.51	2432.77	847.41	14.82
5	Average cost of supply (ACos) (Rs/kwh)	4.40	4.09	28.02	4.64	4.21	5.26	21.23
6	Average Tariff (Rs/kwh)	4.92	3.52	5.40	4.68	4.44	5.03	2.95
7	Aggregate Revenue Requirement (Rs. Crs)	742.50	1323.73	656.32	1253.05	2307.53	885.68	106.81
8	Net (Gap)/ Surplus (Rs. cr) for the year	(78.10)	(1.11)	(539.05)	10.46	125.24	(38.27)	(91.99)
9	T&D Loss (%)	13.75%	11.50%	17.00%	11.75%	4.70%	8.60%	14.00%
10	Regional Transmission losses	3.78%	3.71%	N.A. (**)	4.67%	3.71%	3.71%	N.A. (**)
10	Average Tariff as percentage of ACoS (%)	111.8%	86.08%	19.27%	100%	105%	96%	13.90%
11	Domestic as % ACoS	80.22%	64.30%	12%	55.34%	58.07%	50%	N.A.
12	Commercial as % of ACoS	115.23%	127.02%	2.3%	112.18%	73.01%	68.28%	N.A.
13	Industrial as % of ACoS	116.36%	109.84%	18%	119.23%	101.27%	107.98%	N.A.
14	Agriculture as % of ACoS	52.2%	44.38%	5%	6.84%	19.04%	16.60%	N.A.
15	Domestic Revenue as % of Total Revenue	35.5%	13.13%	33%	14.29%	1.08%	2.79%	N.A.
16	Commercial Revenue as % of Total Revenue	37%	9.95%	33%	8.76%	0.38%	2.09%	N.A.
17	Industrial Revenue as % of Total Revenue	18.83%	72.08%	6%	75.32%	94.66%	86.32%	N.A.
18	Agriculture Revenue as % of Total Revenue	0.06%	0.40%	0.11%	0.14%	0.02%	0.02%	N.A.

(*) Data is taken from Review Order of FY 2015-16

(**) Not connected to Regional/National Grid.

3.4 State Advisory Committee Meetings

JERC, in terms of the Electricity Act 2003, has constituted a State Advisory Committee to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, consumers, Non Government Organizations, education and research. The Commission meets regularly to deliberate on issues regarding:

i. Major questions of policy;
ii. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
iii. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
iv. Protection of consumer interests;
v. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

The Commission organized two SAC committee meetings (being the 9th and 10th meetings) during the year on 19th June, 2015 at Puducherry and 18th December, 2015 at Diu respectively.

9th Meeting of the State Advisory Committee held on 19.06.2015 at Puducherry

3.5 Status of Petitions during the FY 2015-16

Petitions as on 1.04.2015	2
Petitions received during the FY 2015-16	40
Total Petitions in FY 2015-16	42
Petitions disposed of during the FY 2015-16	39
Petitions as on 31.03.2016	3

The details of the Petitions pending as on 31.03.2016 are as under:-

1. **Petition No. 174/2015:** In the matter of M/s Suryachakra Power Cororation Ltd. Vs. Electricity Department-Andaman & Nicobar Islands regarding complaint under Section 142 of the Electricity Act, 2003 read with Regulation 70 of JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009.

   The last hearing in this case was held on 10.08.2015. Since a similar matter is pending before the Hon'ble APTEL and Hon'ble Supreme Court of India, the Commission at the request of the Petitioner adjourned the matter till the disposal of the case by the higher courts.

2. **Petition No. 175/2015:** In the matter of M/s Green Energy Association (Petitioner) Vs. all the Electricity Distribution Utilities under the jurisdiction of JERC regarding Non-compliance of Solar RPOs specified under Regulation 1 (Quantum of RPO) of JERC (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010 by Obligated entities for FY 2010-11 to FY 2014-15.

   The last hearing in this case was held on 27.11.2015 wherein the Commission had observed that neither the Petitioner nor the Respondents had furnished any affidavit in support of their contentions. The Commission therefore decided to fix the hearing only after receipt of the specified affidavits.

3. **Petition No. 184/2015:** In the matter of M/s Reliance Infrastructure Limited Vs. Electricity Department-Goa under Section 86 (1) (f) of the Electricity Act, 2003 to take over the network laid down by the Petitioner for supply of electricity to consumers in the area of supply in which the Respondents hold a license under Section 14 of the Electricity Act, 2003, in view of a dispute arisen between the Petitioner and the Respondent under Power Purchase Agreement dated 10.01.1997; and related matters.

   The last hearing in this case was held on 08.01.2016. The further hearings have been deferred for completion of pleadings at the request of Petitioner/Respondent.

4. In addition, the Commission also on its own accord took up a suo moto Petition in the area of metering and Billing Status of the Utilities, which assumes immense importance from the point of view of the licensees as well as consumers/stakeholders. This is a continuing Petition till full compliance of metering and billing directions is achieved by the Licensees.

3.6 Adjudication of Disputes and Differences

The Preamble to the Electricity Act, 2003 makes specific mention of protecting the interest of consumers. Further, Section 42 (5) of the Act provides for establishment of a Forum for Redressal of Grievances of Consumers by every distribution licensee, in accordance with the guidelines as may be specified by the Commission. Further, Sub-section (6) of Section 42 of the Act, provides for the establishment of an authority known as Ombudsman to be appointed or designated by the Commission. Any consumer of electricity who is aggrieved by non- redressal of his/ her grievance under Sub- section (5) can make a representation for redressal of his grievance to the Ombudsman.

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Goa and UTs, has notified the regulations known as "JERC (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009" and "JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009". These are applicable in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. They provide the procedures and guidelines to be followed in redressal of consumers' grievances. These Regulations are available on the website of the Commission.

- **Establishment of CGRFs**

Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) established by Distribution Licensees/ Electricity Departments in the State of Goa and UTs for redressal of grievances of electricity consumers, are currently functional in all the territories, the details of which are given in Annexure-1.

Each CGRF has the jurisdiction to entertain the complaints/ grievances of consumers with respect to electricity services provided by its distribution licensee/ Electricity Department, except those arising under Section 126 and 127 (unauthorized use of electricity), Section 135 to 139 (theft of electricity and offences and penalties thereof), and Section 161 (notice of accident etc) under the Electricity Act, 2003.

Model procedures for filing the complaints by consumers have been made available to all CGRFs and are also available on the JERC website. CGRFs have been advised to create awareness among consumers about the procedures for redressal of grievances as laid down by them and give wide publicity to the same by way of display on notice board at various bill collection centers and sub- divisional/ divisional offices of the licensees, as well as on their websites. It has been advised that copies of the model procedures shall also be kept ready in the offices of CGRFs and licensees so that consumers of electricity, if they wish to have the same for their information or knowledge can collect it without any hindrance.

Grievances settled by CGRFs during the year

Disposal of Grievances by CGRF Jurisdiction of CGRF	Goa	Chandi -garh	A& N Islands-	Lakshad weep	Daman & Diu	Pudu -cherry	Dadra & Nagar Haveli
No. of grievances outstanding at the close of previous year	11	47	01	3	2	8	5
No. of grievances received during the year	54	198	21	6	19	76	36
No. of grievance disposed during the year	50	223	17	9	21	80	38
No. of grievances pending at the close of the year	16	22	05	0	0	04	03
No. of grievances pending which are older than two months	15	9	Nil	Nil	Nil	Nil	NIl
No. of sittings of CGRF in the year	33	98	105	39	22	248	18

Electricity Ombudsman

The Commission has appointed an Electricity Ombudsman, a statutory authority for the State of Goa and UTs having jurisdiction in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. Any consumer aggrieved by non- redressal of his complaint or grievance by CGRF has the option to make a representation for redressal of his/ her grievance or dispute to the Ombudsman.

The Ombudsman, in the first instance, endeavors to settle the dispute by mutual agreement between the complainant and the licensee through reconciliation or mediation, failing which it decides the matter in dispute based on the pleadings of the parties concerned i.e., the consumer and the licensee department.

Detailed procedure for submitting a representation to the Ombudsman has been laid down and displayed on the website of the Commission. This has also been sent to CGRFs and licensees for giving due publicity.

During the year 2015-16, out of 28 representations/appeals filed before the Electricity Ombudsman by the electricity consumers in the State of Goa and UTs of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Puducherry and Andaman & Nicobar Islands, 25 were settled in favour of the consumers. The number and subject matter of these representations are given in Annexure-2.

One day workshop on Role of CGRF and Ombudsman on 21.05.15 at New Delhi

4. ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION

The Commission was allocated a budget of Rs. 570 lakhs in BE for the FY 2015-16 as grant-in-aid, besides savings of Rs. 14.67 lakhs pertaining to the previous FY 2014-15.

4.1 Statement of Income and Expenditure for the Year 2015-16 as per the records

Sl. No.	Particulars	Income (Rs. Lakhs)	Expenditure (Rs. Lakhs)
	Balance in hand B/F	14.67	
A	Income:		
	By grants/Loans/Subsidies		
	From Govt. of India (Grant-in-aid)		
	Grant-in-aid received vide sanction no. & dated		
	i. 47/6/2010-R&R 23.04.2015	100.00	__
	ii. 47/6/2010-R&R 06.08.2015	185.00	__
	iii. 47/6/2010-R&R 29.12.2015	285.00	__
	Total	**570.00**	
	Contribution/subscription received from FOR		
	By Royalty, Publications etc.	__	
	Interest on Saving Account	__	
	Reimbursement of Ombudsman expenditure from distribution licensees	40.13	
B	**Expenditure:**		
1.	Salaries (Chairman & Member of the Commission)	__	36.66
2.	Salaries (Officers and Establishments)	__	77.55
3.	Payments for Professionals and Others Services.		
	(a) Professional	__	71.36
	(b) Other Services	__	40.26
	(i) Outsourcing of personnel 35.07	__	__
	(ii) Outsourcing for Housekeeping job 3.07	__	__
	(iii) Outsourcing for security personnel 2.12	__	__
4.	Domestic Travel	__	42.41
5.	Foreign Travel	__	__

6.	CPF *	__	1.44
7.	Electricity & Power	__	10.16
8.	Rent Rate & Taxes	__	144.99
9.	Vehicles (Hiring of Vehicles)	__	15.60
10.	Postage, Telephones& Communication Charges.	__	3.96
11.	Printing and stationery	__	1.87
12.	Subscription to FOR/ FOIR etc.	__	12.60
13.	Seminar and Conferences		8.8
14.	Legal Fee	__	2.90
15.	Advertising & Publication	__	13.44
16.	**Others :**		
	a) Office Expenses 11.15	__	11.23
	b) Bank Charges 0.08	__	__
	c) Miscellaneou	__	__
17.	Machinery & Equipment	__	4.25
18.	Furniture & Fixture	__	—
19.	Expenditure on Ombudsman	__	43.84
	TOTAL	__	**551.33**
	Balance in Bank	__	**73.47**
	Total	**624.80**	**624.80**

**** CPF is the Government contribution in respect of Chairman & Member.***

4.2 Statement of Fees and Charges

ANNUAL LICENCE FEE FOR THE FY 2015-16

Sl. No.	Date of Receipt	State/UT/Other	Amount (in Rupees)
1.	20.04.2015	Electricity Department, Chandigarh	37,74,000
2.	04.06.2015	Electricity Department, Daman & Diu	41,94,000
3.	17.02.2016	Electricity Department, DNHPDCL	2,09,00,000
4.	14.04.2015	Electricity Department, DNHPDCL (Transmission Division)	7,00,000
	12.02.2016	Electricity Department, DNHPDCL (Transmission Division)	10,00,000
5.	05.02.2016	Electricity Department, Lakshadweep	1,26,983
	Total		**3,06,94,983**

- **ANNUAL LICENCE FEE FOR FY 2016-17**

Sl. No.	Date of Receipt	State/UT/Other	Amount (in Rupees)
1.	28.03.2016	Electricity Department, Lakshadweep	1,69,000
2.	31.03.2016	Electricity Department, Puducherry	1,39,94000
	Total		**1,41,63000**

- **PETITION FEE FOR THE FY 2015-16**

A total of Rs. 2,39,03,303 (Two Crores Thirty Nine Lakh Three Thousand Three Hundred and Three) was received as Petition fees, the details of which are given in Annexure-3.

5. DETAILS OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT, 2005

Sh. D.R. Parmar, Director (Engineering) was designated as the Public Information Officer of the Commission. The number of applications received and disposed off during the financial year is as under:-

Applications Received	10
Applications disposed off	10
Applications wherein information denied	Nil

6. WORK PLAN FOR THE YEAR AHEAD

6.1 Annual Revenue Requirements and determination of tariff

The Commission shall take up the Petitions for Annual Performance Review and True ups for the previous FYs and determination of tariff for FY 2017-18 for the seven distribution licensees. The Commission shall also review the Business Plan Order for the FY2016-17 vis-à-vis the actual performance as a part of the tariff determination exercise.

6.2 Generation & Transmission Tariff Orders

The Generation Tariff Orders for PPCL & Transmission Tariff Order for ED-DNH are proposed to be issued for the FY 2017-18.

6.3 Generic Solar Tariff during the FY 2016-17 and 2017-18

The Commission shall issue the Generic Solar Tariff Order applicable during FY 2016-17 and 2017-18 for all the distribution licensees under the jurisdiction of JERC.

6.4 Amendment in Regulations

Based on the revised Tariff Policy of 28.01.2016, the Regulations are being reviewed and shall be amended if required, during the financial year.

6.5 State Advisory Committee Meetings

Regular meetings of the State Advisory Committee are being planned in terms of provisions of JERC (State Advisory Committee), Regulation 2009. Two meetings of the Committee are scheduled to be held in the FY 2016-17.

Annexure-1

Details of CGRFs in all the territories

Sl. No	Name of CGRF	Name of Member	Designation	Office Address	Contact No.	E-mail
1	Goa	1. Sh. D.G. Deshpande 2. Vacant 3.Smt. Sandra Vaz e Correia	Chairperson Member Member Nominated	Vidyut Bhavan, 4th Floor, Near KTC Stand, Mundvel, Vascoda Gama, Goa-403802	08007275779 0832-2501836 09422063637	dgdeshpande24@gmail.com adv.sandracorreia@gmail.com
2	Andaman & Nicobar Islands	1. Sh. Yameen Md.Murtaja 2. Vacant 3. Sh. Basudev Dass	Chairperson Member Nominated Member	Electricity, Consumer Grievance Redressal Forum, Horticulture Road, Haddo (PO), Andaman & Nicobar Islands	09434289754 03192-244822(O) 09679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3	Chandigarh	1. Sh. R.K. Arora 2. Sh. Ram Lakshman Mittal 3. Sh. G.D. Saini (upto 20.11.2015)	Chairperson Nominated Member Member	Room No. 531 & 530, 5th Floor, UT. Secretariat, Deluxe Building, Sector - 9D, Chandigarh.	09357156161 (0172-2745531) 08872441999	chairpersoncgrf@gmail.com
4	Daman & Diu	1. Sh. A.P. Waghmare 2. Sh. T.D. Davda 3. Sh. M.N.Kulkarni	Chairperson Member Nominated Member	Department of Electricity, Power House Building, Sea Facing Road, Nani, Daman-396210	09833849653 09978228900 09969143683	anil.india28@gmail.com tarundavda@rediffmail.com
5	Dadra & Nagar Haveli	1. Sh. B.N. Mehta 2. Sh. Chandarkant M. Parekh 3.Vacant	Chairperson Nominated Member Member	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli, 66 KV Substation, Amli Road, Silvassa-396230	09825400184 09824110521	chairperson-cgrf@rediffmail.com
6	Laksha dweep	1. Sh. M.N. Chandran 2 Sh. P. Ameer 3. Vacant	Chairperson Member Nominated Member	CGRF for Electricity, Near Power House, Kavaratti, UT of Lakshadweep-682555.	9446141777 9995370504	Lk-ktelect@nic.in
7	Puducherry	1.Sh. K. Ramasubramanian 2. Sh. D. Gunasekaran 3. Sh. G. Venkatesan	Chairperson Member Nominated Member	No.6, 17th Cross Street, Puducherry -605 005	0413-2201351 0413-2201451	cgrfpon@gmail.com

Representations/Appeals disposed of by Electricity Ombudsman during the financial year:-

Annexure-2

State/ UTs	Number of Representations	Subject Matter	Remarks
Goa	01	1. Billing dispute.	1. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer.
Chandigarh	02	2. Jumping of meter (Faulty meter) 3. Jumping of meter (Faulty meter) 4. Inflated bills (Billing dispute) 5. Jumping of meter (Faulty meter) 6. Jumping of meter (Faulty meter) 7. Billing dispute 8. Refund of surcharge. 9. Review of excess charges against load (Billing dispute) 10. Review of excess charges against load (Billing dispute) 11. Extension of connected load 12. Refund of excess amount 13. Request for waiving off late payment charges 14. Request for withdrawal of penalty amount 15. New Connection 16. Request for waive off Sundry charges 17. Billing dispute 18. Billing dispute 19. Request for waive off Sundry charges 20. Billing dispute	1. Admitted and award/order issued in favour of the consumer. 2. Admitted and award/order issued in favour of the consumer. 3. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 4. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 5. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 6. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 7. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 8. Mutually settled between the licensee and the consumer 9. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 10. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 11. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 12. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 13. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 14. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer 15. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer 16. Admitted and award/ order issued in favour of the licensee 17. Admitted and award/ order issued in favour of the licensee 18. Admitted and award/ order issued in favour of the licensee 19. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer 20. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer

State/ UTs	Number of Representations	Subject Matter	Remarks
Dadra and Nagar Haveli	01	1. Disconnection of service connection	1. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer
Puducherry	05	1. Faulty Meter 2. New Connection 3. Disconnection of separate service connection 4. Faulty meter 5. Excess Billing	1. Mutually settled between the licensee and the consumer 2. Admitted and award/order issued in favour of licensee. 3. Admitted and award/order issued in favour of licensee. 4. Admitted and award/order issued in favour of consumer 5. Admitted and award/order issued in favour of consumer
Andaman & Nicobar Islands	01	1. Low voltage problem	1. Mutually settled between the licensee and the consumer

Annexure-3

Petition Fees received during FY 2015-16:

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/Electricity Department (ED)	State/UT/Other	Amount (in ₹)
1.	09.04.15	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for extension of time for filing MYT petition	10,000/-
2.	18.05.15 22.05.15	M/s Wellknown Polyester Ltd	Fee for review of Cross subsidy surcharge determination notified in JERC T.O. dt.31.03.15 for Daman & Diu	10,000/- 15,000/-
3.	22.05.15	M/s Reliance Infrastructure Ltd.	Petition u/s 86(1) of Electricity Act, 2003	5,00,000/-
4	18.05.15	M/s Shivshakti Urja Pvt. Ltd	Fee for certified copy of Order dated 01.04.15 in the matter of P.No-151/2014	663/-
5.	27.05.15	M/s Zuari Foods & Frames Pvt. Ltd & Tropical Mushrooms Pvt. Ltd	Fee for review petition against Tariff Order dt. 06.04.15	25,000/-
6.	27.05.15	ED-Chandigarh	Review Petition in r/o Tariff Order FY 15-16 dt. 10.04.15	72,550/-
7.	05.06.15	M/s Travel and Tourism Association of Goa, Riviera de Goa Resorts & Nanu Resorts Pvt. Ltd	Fee for review petition against Tariff Order dt. 06.04.15	25,000/-
8.	05.06.15	M/s Grace Infrastructure Pvt. Ltd	Fee for praying for APPC-Solar Power	1,000/-
9.	01.06.15	ED-Goa	Fee for review petition against Tariff Order dt. 06.04.15	77,000/-
10.	08.06.15 26.06.15	M/s Jai Bhuvan Builders Pvt. Ltd, Goa	Fee for review petition against Tariff Orde Date 06.04.15	25,000/- 25,000/-
11.	08.06.15 26.06.15	M/s Alcon Cement Company Ltd. & Counto Microfine Products Pvt. Ltd	Fee for review petition against Tariff Order dt. 06.04.15	25,000/- 25,000/-

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/Electricity Department (ED)	State/UT/Other	Amount (in ₹)
12.	29.06.15	M/s Green Energy Association	Petition for non-compliance of Order dt. 05.05.14 in Suo-moto P.No.-61/12 by UT of DNH	1,000/-
13.	06.07.15	ED- Andaman & Nicobar Islands	Fee for extension of time for filing MYT petition of A&N	10,000/-
14.	06.07.15	M/s Suryachakra Power Corporation Ltd, Hyderabad	Fee for filing petition under Section 142 of EA, 2003 read with Regulation 70 of JERC (COB) Regulations, 2009	5,000/-
15.	10.07.15	M/s Green Energy Association	Difference of fee for filing petition for non-compliance of Order dt. 05.05.14 in Suo-moto P.No.-61/12 by UT of DNH	4,000/-
16.	21.07.15	DNH Power Distribution Corporation Ltd.	Review petition against the tariff orders of DNHPDCL dt. 01.04.15	93,500/-
17.	21.07.15	DNH Power Distribution Corporation Ltd.	Petition for implementation of DELP for LED Bulbs in the UT of DNH	10,000/-
18.	06.08.15	DNH Power Distribution Corporation Ltd.	Petition fee for seeking approval of Hon'ble Commission for implementation of DELP for LED Bulbs in the UT of DNH	10,000/-
19.	06.08.15	DNH Power Distribution Corporation Ltd.	Condonation of delay for filing review petition	20,000/-
20.	18.08.15	ED-Puducherry	Fee for filing of Business Plan for MYT period FY 16-17 to FY 18-19	1,00,000/-
21.	18.08.15	ED-Daman	Fee for filing Business Plan for MYT period FY 16-17 to 18-19	1,00,000/-

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/Electricity Department (ED)	State/UT/Other	Amount (in ₹)
22.	25.08.15	ED-Chandigarh	Fee for extension of time for filing Business Plan for FY 16-17 to 18-19	10,000/-
23.	25.08.15	DNH Power Distribution Corporation Ltd.	Fee for filing Business Plan for FY 16-17 to FY 18-19	1,00,000/-
24.	25.08.15	ED-Chandigarh	Fee for filing Business Plan for FY 16-17 to FY 18-19	1,00,000/-
25.	01.09.15 16.09.15	M/s Reliance Infrastructure Limited	Petition under Section 86 (1) (f) of Electricity Act, 2003	5,00,000/- 5,00,000/-
26.	01.09.15	M/s Merck Limited	Petition fee for approval of tariff and surplus power from Biomass based captive power plant of Merck Ltd. to ED-Goa	3,00,000/-
27.	08.09.15	ED-Chandigarh	Extension fee for filing Business Plan for MYT FY 15-16 to 18-19	10,000/-
28.	16.09.15	ED- Andaman & Nicobar Islands	Fee for filing Business Plan for FY 16-17 to FY 18-19	1,00,000/-
29.	16.09.15	ED-Goa	Fee for extension of time for filing Business Plan for FY 16-17 to 18-19	20,000/-
30.	16.10.15	ED-Goa	Fee for filing Business Plan for FY 2016-17 to FY 2018-19	1,00,000/-
31.	17.10.15	ED-Goa	Extension of time for filing Business Plan for FY 2016-17 to FY 2018-19	20,000/-
32.	30.10.15	ED-Puducherry	Fee for approval for the PPA to be entered into with NLC	2,00,000/-
33.	30.10.15	M/s Association of Polyester Continuous Polymerization Industries of DNH	Fee for review of JERC Order dt. 30.03.15 for FY 15-16 of DNH (Transmission Division)	25,000/-

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/Electricity Department (ED)	State/UT/Other	Amount (in ₹)
34.	19.11.15	ED-Lakshadweep	Fee for extension of time for filing Business Plan	20,000/-
35.	30.11.15	M/s Association of Polyester Continuous Polymerization Industries of DNH	Fee for review of JERC Order dt. 30.03.15 for FY 15-16 of DNH (Transmission Division)	20,000/-
36.	14.12.15	M/s Silvassa Industries Association	Fee for stay of levy if additional FPPCA pertaining to period between April-12 to March-15	5,000/-
37.	14.12.15	M/s Silvassa Industries Association	Fee for application for direction that the action of respondent revising the FPPCA is against the formula	5,000/-
38.	14.12.15	ED- Andaman & Nicobar Islands	Fee for extension of time for filing Business Plan for FY 16-17 to 18-19	20,000/-
39.	14.12.15	Puducherry Power Corporation Limited	Fee for condonation of delay for filing Tariff Petition for FY 16-17	20,000/-
40.	16.12.15	ED-Lakshadweep	Fee for filing Business Plan for FY 16-17 to 18-19	1,00,000/-
41.	11.01.16	Puducherry Power Corporation Limited	Fee for filing Tariff Petition for FY 2016-17	15,00,000/-
42.	11.01.16	ED-Puducherry	Fee for filing MYT Petition for control period FY 16-17 to FY 18-19	23,66,310/-
43.	13.01.16	ED-Lakshadweep	Fee for filing MYT petition for control period FY 16-17 to 18-19	10,00,000/-
44.	20.01.16	M/s Silvassa Industrial Association	Fee for stay of levy if additional FPPCA pertaining to period between April, 2012 to March, 2015	5,000/-
45.	21.01.16	ED-Daman & Diu	Fee for filing MYT Petition for control period FY 2016-17 to FY 2018-19 and tariff proposal for FY 2016-17 UT of Daman & Diu	18,00,470/-

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/Electricity Department (ED)	State/UT/Other	Amount (in ₹)
46.	21.01.16	DNH Power Distribution Corporation Ltd.	Fee for filing MYT Petition for control period FY 2016-17 to FY 2018-19 and tariff proposal for FY 2016-17	58,12,590/-
47.	30.01.16	ED-DNH (Transmission Division)	ARR Petition and Tariff Proposal for ED-DNH transmission division for FY 2016-17	20,00,000/-
48.	16.02.16	ED-Goa	Fee for filing MYT Petition for control period FY 2016-17 to FY 2018-19 and tariff proposal for FY 2016-17	33,51,810/-
49.	16.02.16	ED-Goa	Fee for extension of time for filing MYT Petition for control period FY 2016-17 to FY 2018-19 and tariff proposal for FY 2016-17	20,000/-
50.	17.02.16	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for filing MYT Petition for control period FY 2016-17 to FY 2018-19 and tariff proposal for FY 2016-17	10,00,000/-
51.	03.03.16	ED-Chandigarh	Fee for filing MYT Petition for control period FY 2016-17 to FY 2018-19 and tariff proposal for FY 2016-17	16,17,410/-
52.	30.03.16	M/s Suryachakra Power Corporation Ltd.	Application for early hearing in Petition no. 174/2015	5,000/-
53.	30.03.16	ED-Puducherry	Fee for filing of miscellanies Petition seeking the approval of Hon'ble Commission	20,000/-
54.	30.03.16	ED-Chandigarh	Petition for approval of draft solar net/gross metering power purchase agreement	20,000/-
55.	30.03.16	ED-Chandigarh	Petition for approval of capital expenditure for 03 Nos 66kV works greater than amount to Rs. 10 Crores	20,000/-
			TOTAL	**2,39,03,303**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(If the state of Goa and Union Territories)

'वाणिज्य निकुंज', दूसरी मंजिल उद्योग विहार
फेज-5, गुड़गाँव-(122016) हरियाणा
फोनः+91(124) 2875302, फैक्स+9191(124) 2342853
ई-मेलः secretaryjerc@gmail.com • वेबसाइटः www.jercuts.gov.in

'Vanijya Nikunj', 2nd Floor, HSIIDC Complex, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016 (Haryana)
Telephone: +91(124) 2875302, Fax: +91(124) 2342853
E-mail: secretaryjerc@gmail.com • Web:www.jercuts.gov.in